



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

# कोचिन पोर्ट प्राधिकरण

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

वार्षिक लेखा

एवं

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2023-24

वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में दिए गए  
लेखा -परीक्षा आपत्तियों /विचारों पर की गई  
कार्रवाई की टिप्पणी सहित



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

# कोचिन पोर्ट प्राधिकरण

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

वार्षिक लेखा

2023-24

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
		तुलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
अनुसूची	उप अनुसूची		
		<b>तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:</b>	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	4
IV		निवेश	5
V		विविध देनदार	5
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	5
VII		ऋण एवं अग्रिम	5
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधान	5
		<b>तुलन पत्र के अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ:</b>	
	ए	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	6
	बी	सहायता अनुदान	7
	सी	बैंक में जमा राशि एवं नकदी	8
		<b>लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ</b>	
		<b>आय</b>	
	डी	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	9
	ई	पत्तन और गोदी शुल्क	9
	एफ	रेलवे आमदनी	9
	जी	संपदा किराया	9
		<b>व्यय</b>	
	एच	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	10
	आई	नौवहन के लिये पत्तन एवं गोदी सुविधाएँ	10
	जे	रेलवे कार्य	10
	के	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	11
	एल	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	11
	एम	वित्त और विविध आय	12
	एन	वित्त और विविध व्यय	12
		<b>लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची</b>	13-15
IX		<b>कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र</b>	16
		सी.एफ.एच. के आय और व्यय लेखा	17
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	18
X		<b>वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ</b>	19-38
XI		<b>पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट</b>	39-49
XII		<b>लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई</b>	50-64

कोचिन पतन प्राधिकरण

31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2023-24		2022-23	
		₹	₹	₹	₹
<b>I निधि के स्रोत</b>					
<b>संचय और अधिशेष</b>	I				
ए पूंजीगत संचय		87,70,76,282		84,84,07,574	
बी निधियाँ		72,44,360	88,43,20,642	65,44,947	85,49,52,521
सी सांविधिक संचय			28,17,69,922		16,72,81,794
डी सहायता अन्दान			25,88,04,954		32,55,37,375
<b>ऋण निधियाँ</b>	II				
ए सरकारी ऋण		4,46,82,33,147		4,46,82,33,147	
बी असुरक्षित ऋण		-	4,46,82,33,147	2,64,30,856	4,49,46,64,003
<b>कुल</b>			<b>5,89,31,28,665</b>		<b>5,84,24,35,693</b>
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
<b>कुल योग</b>			<b>5,89,43,15,031</b>		<b>5,84,36,22,059</b>
<b>II निधियों का प्रयोग</b>					
स्थिर/ पूंजीगत परिसंपत्तियाँ	III				
सकल ब्लॉक		7,20,13,48,875		7,16,40,45,047	
न्यून:अवमुल्यन हेतु प्रावधान		3,74,46,95,080		3,58,09,87,952	
निवल ब्लॉक			3,45,66,53,795		3,58,30,57,095
पूंजीगत कार्य प्रगति पर			67,69,976		1,71,17,399
निवेश	IV		79,05,18,064		67,90,48,904
मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
ए चालू परिसंपत्तियाँ:					
i अर्जित ब्याज		6,04,81,735		4,43,14,614	
ii वस्तु सूची		60,92,700		70,57,551	
iii विविध देनदार	V	67,66,19,289		62,47,76,497	
iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	1,12,82,49,649		1,15,40,44,466	
बी ऋण एवं अग्रिम	VII	1,11,74,30,342		88,78,28,324	
<b>कुल</b>		2,98,88,73,715		2,71,80,21,452	
न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	5,98,07,30,594		5,85,98,27,148	
निवल चालू परिसंपत्तियाँ			-2,99,18,56,879		-3,14,18,05,696
सी लाभ और हानि लेखा			4,63,10,43,707		4,70,50,17,991
<b>कुल</b>			<b>5,89,31,28,665</b>		<b>5,84,24,35,693</b>
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
<b>कुल योग</b>			<b>5,89,43,15,031</b>		<b>5,84,36,22,059</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-  
अध्यक्ष

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

विवरण	उप अनुसूची	2023-24	2022-23
		₹	₹
<b>आय</b>			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	डी	3,34,51,29,987	2,74,65,56,459
पत्तन एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ई	4,50,16,86,510	3,69,73,34,315
रेलवे आमदनी	एफ	-	-
संपदा भाड़ा	जी	1,31,94,33,701	1,19,18,05,447
<b>कुल</b>		<b>9,16,62,50,198</b>	<b>7,63,56,96,221</b>
<b>कम व्यय:</b>			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	एच	47,94,72,565	49,55,15,247
पत्तन एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	आई	2,20,09,26,832	2,38,53,17,117
रेलवे कार्य	जे	-	-
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	के	23,57,38,521	21,57,32,339
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं)	एल	1,24,20,87,164	1,15,78,80,106
<b>कुल</b>		<b>4,15,82,25,082</b>	<b>4,25,44,44,809</b>
परिचालन लाभ(+) / हानि (-)		5,00,80,25,116	3,38,12,51,411
योग: वित्त और विविध आय	एम	47,80,55,200	63,66,50,166
<b>कुल</b>		<b>5,48,60,80,315</b>	<b>4,01,79,01,578</b>
न्यून: वित्त और विविध व्यय	एन	5,29,76,17,904	3,95,95,74,207
कर पूर्व लाभ		18,84,62,411	5,83,27,371
न्यून: कराधान हेतु प्रावधान			0
कर पश्चात लाभ		18,84,62,411	5,83,27,371
<b>न्यून : विनियोजन</b>			
पूँजीगत संचय		-	-
सांविधिक संचय		11,44,88,127	-
<b>कुल</b>			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		7,39,74,284	5,83,27,371
<b>कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह</b>			
आय		3,31,11,678	3,56,34,570
व्यय		3,48,03,888	3,21,01,903
अधिशेष(+) / घाटा (-)		<b>-16,92,209</b>	<b>35,32,668</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-  
अध्यक्ष

**कोचिन पत्तन प्राधिकरण**  
31.03.2024 तक तुलन पत्र के लिए अनुसूची

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2023-24	2022-23
			₹	₹
<b>संचय और अधिशेष</b>	I	ए		
पूँजीगत संचय			87,70,76,282	84,84,07,574
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			45,07,878	42,07,331
कर्मचारी कल्याण निधि			25,85,424	23,34,764
परिवार सुरक्षा निधि			1,51,058	2,852
<b>कुल</b>			<b>88,43,20,642</b>	<b>85,49,52,521</b>
<b>सांविधिक संचय</b>	I	ए		
पूँजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			15,56,29,961	9,83,85,897
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			12,61,39,961	6,88,95,897
<b>कुल</b>			<b>28,17,69,922</b>	<b>16,72,81,794</b>
<b>सहायता अनुदान</b>	I	बी		
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			31,07,960	29,99,382
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			9,71,21,194	9,02,70,508
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण/सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			72,95,495	70,72,549
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन- सहायता अनुदान			-35,877	-35,877
कूज टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान अनुदान			0	-65,77,715
साउथ कोयला बर्थ के पुनर्निर्माण हेतु सहायता अनुदान			-78,55,745	-78,55,745
सहायता अनुदान -सीएफएच			21,81,72,043	25,64,84,890
सहायता अनुदान -रो रो			-5,14,106	97,97,098
<b>कुल</b>			<b>31,72,90,964</b>	<b>35,21,55,090</b>
न्यून:मौजूदा देयताओं के अंतर्गत मंत्रालय को ब्याज पुनर्भुगतान			6,78,88,758	4,20,84,072
न्यून:सहायता अनुदान पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि - मंत्रालय से प्राप्त होने वाली राशि, चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई है			-94,02,748	-1,54,66,357
<b>कुल अनुदान</b>			<b>25,88,04,954</b>	<b>32,55,37,375</b>
<b>ऋण निधियाँ</b>				
<b>ए. सरकार से ऋण</b>	II		4,46,82,33,147	4,46,82,33,147
<b>कुल</b>			<b>4,46,82,33,147</b>	<b>4,46,82,33,147</b>
<b>बी. असुरक्षित ऋण</b>	II			
(ए) अन्य स्रोत ऋण				
ऋण की मूल राशि			0	29,91,508
योग:अर्जित ब्याज			0	2,34,39,348
<b>कुल</b>			<b>0</b>	<b>2,64,30,856</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण  
31.03.2024 तक पंजीकृत पूंजीगत परिसंपत्ति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लाक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लाक	
		□ 01-04-2023 तक	योग	विलोपन	□ 31-03-2024 तक	□ 01-04-2023 तक	वर्ष के दौरान	हटाए जाने पर	31-03-2024 तक कुल	□ 31-03-2024 तक	□ 01-04-2023 तक
1	भूमि	51,49,16,218	-	-	51,49,16,218	-	-	-	-	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूँजी निकषण	84,39,61,873	-	-	84,39,61,873	21,61,20,372	84,53,939	-	22,45,74,311	61,93,87,562	62,78,41,501
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	77,26,11,176	1,56,92,168	41,38,127	78,41,65,218	45,05,77,930	2,41,79,657	28,22,909	47,19,34,678	31,22,30,540	32,20,33,246
4	वाफों, सड़कों और चौहदियों	2,21,00,76,607	1,06,51,235	-	2,22,07,27,842	74,60,26,498	4,53,66,491	-	79,13,92,989	1,42,93,34,853	1,46,40,50,109
5	प्लव यान	1,30,68,57,646	-	-	1,30,68,57,646	1,03,78,33,277	4,32,49,692	-	1,08,10,82,969	22,57,74,677	26,90,24,369
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	21,69,24,628	-	-	21,69,24,628	17,88,05,033	54,38,806	-	18,42,43,839	3,26,80,789	3,81,19,595
7	क्रैनों और वाहनों	15,15,84,248	-	9,78,336	15,06,05,912	14,82,26,474	19,45,409	9,78,334.00	14,91,93,549	14,12,363	33,57,774
8	संयंत्र और मशीनरी	39,23,08,005	1,60,76,889	-	40,83,84,894	30,38,98,123	1,13,85,526	-	31,52,83,649	9,31,01,245	8,84,09,882
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	70,65,01,751	-	-	70,65,01,751	45,25,20,696	2,70,84,823	-	47,96,05,519	22,68,96,232	25,39,81,055
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	-	-	3,83,25,308	3,78,13,344	46,541	-	3,78,59,885	4,65,423	5,11,964
11	विविध परिसंपत्तियाँ	99,77,587	0	-	99,77,587	91,66,205	3,57,488	-	95,23,693	4,53,894	8,11,382
	कुल	7,16,40,45,045	4,24,20,292	51,16,463	7,20,13,48,875	3,58,09,87,951	16,75,08,372	38,01,243	3,74,46,95,080	3,45,66,53,795	3,58,30,57,094
	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	1,71,17,399	65,34,000	1,68,81,423	67,69,976	-	-	-	-	67,69,976	1,71,17,399
	कुल योग	7,18,11,62,444	4,89,54,292	2,19,97,886	7,20,81,18,851	3,58,09,87,951	16,75,08,372	38,01,243	3,74,46,95,080	3,46,34,23,771	3,60,01,74,493

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2024 तक तुलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2023-24	2022-23
			₹	₹
<b>निवेश</b>	IV			
<b>ए दीर्घावधि निवेश</b>				
1 मेसर्स कोचीन ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. लि. के शेयरों में (प्रति 10 रु की 1,50,000 ईक्वटी शेयर )			15,00,000	15,00,000
2 लंबी मियादी जमा:-				
(i) सांविधिक संचय के लिए			28,00,00,000	0
(ii) अन्य			50,90,18,064	67,75,48,904
<b>कुल</b>			<b>79,05,18,064</b>	<b>67,90,48,904</b>
<b>विविध देनदार</b>	V			
सरकारी देय				
- 6 माह से कम			15,96,37,149	20,35,04,819
- 6 माह से अधिक			7,91,77,447	6,75,91,077
गैर सरकारी देय				
- 6 माह से कम			20,56,47,931	13,83,22,050
- 6 माह से अधिक			33,86,24,109	32,18,25,898
			78,30,86,636	73,12,43,844
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10,64,67,347	10,64,67,347
<b>कुल</b>			<b>67,66,19,289</b>	<b>62,47,76,497</b>
<b>नकद एवं बैंक में जमा राशि</b>	VI	C		
नकदी			87,454	95,658
बैंक में जमा :				
वर्तमान लेखा			1,71,68,999	8,60,97,161
बचत लेखा			18,49,81,501	68,15,10,666
आवधिक जमा			92,56,33,983	38,60,18,201
कैश कार्ड			3,77,712	3,22,780
<b>कुल</b>			<b>1,12,82,49,649</b>	<b>1,15,40,44,466</b>
<b>ऋण एवं अग्रिम (नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य पर वसूल किया जा सकता है)</b>	VII			
अग्रिम में भूगतान एवं शेष ऋण			1,38,34,74,081	1,17,96,04,634
जमा			5,39,72,829	2,98,22,792
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			94,02,748	1,54,66,357
न्यून: मौजूदा देयताओं क अंतर्गत जमा कार्य के पुन:समूहीकृत हेतु ठेकेदार को दिये गए अग्रिम			32,94,19,316	33,70,65,459
<b>कुल</b>			<b>1,11,74,30,342</b>	<b>88,78,28,324</b>
<b>वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों</b>	VIII			
<b>वर्तमान देनदारियाँ</b>				
सामान्य भविष्य निधि			29,80,282	60,66,406
देय वेतन व मजदूरी			32,34,30,841	14,39,40,944
अर्जित व्यय			93,74,91,802	93,23,22,502
विविध लेनदार और क्रेडिट बैलेंस			3,42,67,92,973	3,22,89,10,119
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			1,29,00,34,696	1,54,85,87,177
<b>कुल</b>			<b>5,98,07,30,594</b>	<b>5,85,98,27,148</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी



## कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2024 को निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	पूँजी संचय	राजस्व संचय				सांविधिक संचय	
		सामान्य संचय	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	कर्मचारी कल्याण निधि	परिवार सुरक्षा निधि	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूँजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय
	110000	110300 & 110301	110100	110101	110102	110200	110201
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रैल 2023 तक शेष	84,84,07,574	-4,70,50,17,991	42,07,331	23,34,764	2,852	9,83,85,897	6,88,95,897
<u>योग:</u> जीआरएफ से अंशदान	2,86,68,707	-	12,150	5,00,000	7,01,518	5,72,44,064	5,72,44,064
कर्मचारियों से अंशदान	-	-	24,300		1,08,696	-	-
राजस्व खाता से अंशदान	-	7,39,74,284				-	-
निवेश पर ब्याज	-	-	2,76,619			-	-
<b>कुल</b>	<b>87,70,76,282</b>	<b>-4,63,10,43,707</b>	<b>45,20,400</b>	<b>28,34,764</b>	<b>8,13,066</b>	<b>15,56,29,961</b>	<b>12,61,39,961</b>
<u>न्यून:</u> निधि से व्यय/समायोजन	-	-	12,522	2,49,340	6,62,008	-	-
<b>31 मार्च 2024 तक शेष</b>	<b>87,70,76,282</b>	<b>-4,63,10,43,707</b>	<b>45,07,878</b>	<b>25,85,424</b>	<b>1,51,058</b>	<b>15,56,29,961</b>	<b>12,61,39,961</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पतन प्राधिकरण  
सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	जीएल	स्वीकृत राशि	प्राप्त अनुदान							किया गया व्यय							शेष	
				2020-21 से पहले	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अर्जित ब्याज	कुल	2020-21 से पहले	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	चुकाया गया ब्याज	सीडब्ल्यूआई पी में स्थानांतरण		कुल
1	बार्ज बर्थ के लिए एसआईडीई अनुदान	110004	15.00	8.38	-	-	-	-	1.40	13.89	18.08	-	-	-	-	-	-7.60	13.89	0.00
2	सीएफएस के लिए एसआईडीई अनुदान		4.04	4.04	-	-	-	-	0.07		3.41	-	-	-	-	-			
3	वॉकवे का विकास (चरण I, II, III)	110005	9.01	8.74	-	1.06	-	-	0.37	10.17	9.30	0.50	-	-	-	0.37	-	10.17	0.00
4	अतिरिक्त पर्यटन सुविधा-वॉकवे का निर्माण	110017	4.66	2.33	1.40	0.93	-	-	0.14	4.80	3.21	1.37	0.13	-0.05	-	0.14	-	4.80	0.00
5	वल्लारपाडम-सबवे	110007	30.00	29.76	-	-	-	-	1.34	31.10	27.46	0.16	-	3.17	-	-	-	30.79	0.31
6	रेल ओवर ब्रिज-वल्लारपाडम	110015	409.83	409.83	-	-	-	-	2.70	412.53	402.82	-	-	-	-	-	-	402.82	9.71
7	गाद पर अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	110008	5.37	5.36	-	0.10	-	-	0.24	5.70	5.70	-	-	-	-	-	-	5.70	0.00
8	कोस्टल लिक्विड टर्मिनल का नवीकरण	110010	14.96	14.45	-	-	-	-	0.54	14.99	14.45	-	-	-	-	0.54	-	14.99	0.00
9	प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण की खरीद	110011	5.23	2.61	-	-	-	-	0.48	3.09	1.99	-	-	0.01	-	0.36	-	2.36	0.73
10	आईपीडीएस	110012	3.26	1.18	1.75	0.05	-	-	-	2.98	2.38	0.83	-0.23	-	-	-	-	2.98	0.00
11	स्वच्छ भारत	110013	6.61	6.61	-	-	-	-	0.29	6.90	6.61	-	-	-	-	0.29	-	6.90	0.00
12	परणाकुलम वार्फ के बर्थ और बैकअप क्षेत्र का उन्नयन (परणाकुलम वार्फ में क्रूज टर्मिनल)	110014	21.41	17.12	4.28	-	-	-	0.69	22.09	17.20	5.40	-1.20	-	-	0.69	0.00	22.09	0.00
13	क्रूज टर्मिनल (समुद्रिका) के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	110016	1.21	0.76	0.20	-	0.18	-	0.03	1.17	0.91	0.09	0.14	-	-	0.03	-	1.17	0.00
14	अतिरिक्त बुनियादी ढांचा- क्रूज टर्मिनल	110018	10.30	5.15	3.08	-	-	0.66	0.14	9.03	1.32	3.90	3.67	-	-	0.14	-	9.03	0.00
15	साउथ कोल बर्थ का पुनर्निर्माण	110019	8.85	-	4.43	-	3.54	-	0.10	8.07	-	-	4.82	4.04	-	-	0	8.86	-0.79
16	सीएफएच का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	110020	50.00	-	-	25.00	-	-	2.53	27.53	-	-	-	0.02	5.69	-	0	5.71	21.82
17	रो-रो प्रोपेलीन हस्तन का विकास	110021	10.56	-	-	-	3.66	5.23	-	8.89	-	-	-	2.68	6.26	-	-	8.94	-0.05
	<b>कुल</b>		<b>610.30</b>	<b>516.32</b>	<b>15.14</b>	<b>27.14</b>	<b>7.38</b>	<b>5.89</b>	<b>11.07</b>	<b>582.94</b>	<b>514.84</b>	<b>12.25</b>	<b>7.33</b>	<b>9.87</b>	<b>11.95</b>	<b>2.57</b>	<b>-7.60</b>	<b>551.21</b>	<b>31.73</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

## कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2024 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण	₹	₹
नकदी		87,454
कैश कार्ड		3,77,712
राष्ट्रीय एवं अन्सूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		1,71,68,999
राष्ट्रीय एवं अन्सूचित बैंकों के साथ बचत खाता		18,49,81,501
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	59,16,90,000	
अनुदान	32,99,93,983	
कुल जमा		92,16,83,983
एचबीए एफबीएफ निवेश		39,50,000
<b>कुल</b>		<b>1,12,82,49,649</b>
अन्सूचित बैंकों के साथ शेष		1,12,81,62,195
गैर-अन्सूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-  
 वित्तीय सलाहकार एवं  
 मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2023-24	2022-23
	₹	₹
<b>उप-अनुसूची -डी</b>		
<b>कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार</b>		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	33,46,12,290	26,93,23,953
क्रेन-भाड़ा	8,59,594	1,08,929
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	1,31,27,23,054	1,03,29,57,695
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	90,95,447	75,00,512
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	14,44,476	9,53,900
विविध प्रभार - कार्गो	2,01,92,184	1,34,59,428
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	1,41,60,70,496	1,21,77,35,432
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	24,70,66,533	20,24,02,698
स्टीवडोरिंग एवं शोर हस्तन के लिए अधिशुल्क	30,65,913	21,13,912
<b>कुल</b>	<b>3,34,51,29,987</b>	<b>2,74,65,56,459</b>
<b>उप-अनुसूची -ई</b>		
<b>पोर्ट और गोदी प्रभार</b>		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	48,44,07,808	37,44,91,903
बर्थ किराया प्रभार	35,93,51,621	31,21,51,808
पोर्ट देय	1,18,82,94,133	96,62,10,308
कन्हारी शुल्क	2,30,33,46,785	1,94,00,59,432
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	1,25,06,109	2,24,266
विविध प्रभार- जहाज़	3,25,97,676	2,15,11,664
निकर्षण सेवाओं से आय	9,06,43,335	5,81,46,117
मारिटाइम सेवा प्रभार सहित कूडस जहाज़ से आय	3,05,39,043	2,45,38,817
<b>कुल</b>	<b>4,50,16,86,510</b>	<b>3,69,73,34,315</b>
<b>उप-अनुसूची - एफ</b>		
रेलवे आमदनी	-	-
<b>उप-अनुसूची - जी</b>		
<b>संपदा भाड़ा</b>		
ज़मीन से किराया	77,32,04,446	70,31,71,141
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	11,05,01,782	8,86,06,111
विविध आय	41,13,82,184	37,80,48,936
फुटकर आय	2,43,45,289	2,19,79,259
<b>कुल</b>	<b>1,31,94,33,701</b>	<b>1,19,18,05,447</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ  
व्यय

	2023-24	2022-23
	₹	₹
<b><u>उप अनुसूची- एच</u></b>		
<b><u>कार्गो हस्तन एवं भण्डार</u></b>		
शेड एवं वाफ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	30,70,93,484	32,22,55,045
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	17,92,590	13,18,189
क्रेन के प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,07,94,906	1,42,27,183
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,89,49,268	7,84,19,321
वाफ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	31,90,149	30,51,262
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	7,76,52,168	7,62,23,993
नये लघु कार्य	-	20,254
<b>कुल</b>	<b>47,94,72,565</b>	<b>49,55,15,247</b>
<b><u>उप अनुसूची- आई</u></b>		
<b><u>कन्हारी शुल्क समेत पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ</u></b>		
टोइंग, बर्थिंग और मूरिंग	19,70,30,947	25,79,96,209
कन्हारी शुल्क	7,73,51,113	7,03,11,779
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	26,07,363	3,61,228
अग्निशमन	9,64,91,477	10,26,64,602
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	1,33,89,92,555	1,46,56,16,023
हार्बर गश्ती दल	96,59,009	90,68,179
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	3,84,34,447	3,28,38,008
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	44,03,55,718	44,64,56,872
नये लघु कार्य	4,203	4,217
<b>कुल</b>	<b>2,20,09,26,832</b>	<b>2,38,53,17,117</b>
<b><u>उप अनुसूची - जे</u></b>		
<b><u>रेलवे कार्य</u></b>		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	-	-

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2023-24	2022-23
	₹	₹
<b><u>उप अनुसूची -के</u></b> <b><u>किराये योग्य भूमि और भवनों</u></b>		
संपदा अनुरक्षण	15,19,90,915	12,28,63,565
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	8,37,47,606	9,28,68,774
<b>कुल</b>	<b>23,57,38,521</b>	<b>21,57,32,339</b>
<b><u>उप अनुसूची -एल</u></b> <b><u>प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन</u></b>		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	32,58,14,494	31,24,21,660
चिकित्सा व्यय	12,57,53,707	12,17,33,551
भण्डार रक्षण	2,29,40,075	2,28,11,328
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	30,66,87,323	24,72,02,647
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	69,93,665	67,12,413
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	13,45,78,110	13,79,16,512
अतिरिक्त और विविध व्यय	31,93,19,790	30,90,81,995
<b>कुल</b>	<b>1,24,20,87,164</b>	<b>1,15,78,80,106</b>

ह/-  
**वित्तीय सलाहकार एवं**  
**मुख्य लेखा अधिकारी**

जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
	<b>उप अनुसूची -एम</b>		
	<b>वित्त और विविध आय</b>		
540000	विविध प्राप्तियाँ	13,45,78,412	17,93,36,503
540001	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	39,87,107	18,57,78,461
540005	ब्याज आय	22,09,95,826	11,77,66,190
540006	अनुपयोगी स्टोर की बिक्री	1,02,89,323	26,44,867
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	34,199	1,00,777
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	9,19,91,064	12,48,73,237
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मर्दे	1,44,99,564	87,06,560
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	54,629	24,412
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	1,66,208	11,10,244
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	14,58,868	1,63,08,915
	<b>कुल</b>	<b>47,80,55,200</b>	<b>63,66,50,166</b>
	<b>उप अनुसूची - एन</b>		
	<b>वित्त और विविध व्यय</b>		
670002	बैंक प्रभार	3,68,606	7,94,415
670006	कर्मचारी कल्याण कोष में अंशदान	5,00,000	-
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	7,01,518	6,11,280
670008	पेंशन भुगतान समेत पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	4,66,85,80,864	3,50,17,89,482
670009	पिछले वर्षों से संबंधित मद	9,79,929	3,45,97,918
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	12,150	13,888
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	2,22,12,612	1,77,02,889
670014	ग्रेच्यूटी भुगतान समेत ग्रेच्यूटी फंड ट्रस्ट के लिए अंशदान	59,82,25,991	39,88,18,239
670023	बिजली जमा पर ब्याज	37,99,493	21,87,018
670026	अन्य स्रोत ऋणों पर ब्याज	-	3,88,896
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	4,86,920	-
670031	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व योजना	17,49,821	26,70,182
	<b>कुल</b>	<b>5,29,76,17,904</b>	<b>3,95,95,74,207</b>

ह/-  
**वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी**

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची  
कॉर्पोरेट व्यय

जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
	<b>वेतन एवं मजदूरी:</b>		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	22,04,00,834	25,43,09,218
600002	पीएलआर	1,21,14,000	1,54,81,368
600003	समयोपरि	2,18,39,987	1,33,30,597
600004	प्रोत्साहन	19,74,428	21,64,702
600005	मानदेय	12,89,424	9,06,531
600006	अवकाश नकदीकरण	14,24,60,597	10,10,08,186
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	60,03,28,435	67,11,47,521
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	29,75,77,609	34,28,82,757
600010	अवकाश यात्रा रियायत	8,00,228	1,92,296
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	15,400	22,080
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	3,92,111	5,67,701
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	32,10,963	34,32,508
600014	वेतन संशोधन	18,41,96,000	-
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	39,82,975	34,44,981
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	8,11,46,985	9,19,71,152
	<b>कुल (ए)</b>	<b>1,57,17,29,976</b>	<b>1,50,08,61,598</b>
	<b>भण्डार</b>		
610000	भण्डार-सामान्य	6,70,849	5,43,328
610001	भण्डार-यूनिफार्म	7,52,544	3,56,939
610002	भण्डार-परिचालन	1,21,55,974	1,40,78,130
610003	भण्डार-ईंधन	25,12,71,192	27,54,93,353
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	1,34,72,706	1,58,20,812
	<b>कुल (बी)</b>	<b>27,83,23,265</b>	<b>30,62,92,562</b>
	<b>कार्यालय और प्रशासनिक व्यय</b>		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	2,31,759	94,166
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	2,338	7,350
620002	यात्रा व्यय	43,11,994	36,83,266
620004	कुरियर शुल्क	1,11,838	1,22,776
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	29,14,062	29,93,067
620006	उपकरण और फर्नीचर	12,17,383	1,24,189



जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
620010	विविध व्यय	1,04,68,168	63,65,953
620011	नये लघु कार्य	5,44,954	5,17,913
620013	मनोरंजन	47,07,732	2,91,430
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,03,596	6,21,233
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	6,23,043	7,00,000
620016	विधिक प्रभार	54,56,953	67,62,058
620017	मुद्रण प्रभार	9,13,052	3,03,477
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	5,636	18,261
620019	प्रचार और विज्ञापन	13,27,148	15,04,745
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	91,98,526	74,94,219
620021	किराया, दरों और शुल्कों	48,85,325	32,57,190
620022	दूरभाष	11,95,686	14,21,237
620023	अभिदान	1,84,254	1,74,643
620024	दान और अंशदान	2,00,000	-
620025	आईपीए शेयर अंशदान	2,18,57,438	84,78,201
620026	विपणन व्यय	9,93,513	5,40,789
	<b>कुल (सी)</b>	<b>7,24,54,398</b>	<b>4,54,76,163</b>
	<b>परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय</b>		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	51,54,034	68,70,525
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	62,55,487	59,26,266
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	49,73,791	34,78,283
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	2,23,96,811	19,18,31,605
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	64,78,990	2,35,038
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	98,99,609	59,20,200
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	91,98,170	1,52,24,472
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	1,52,80,428	1,30,34,105
630009	जल प्रभार	4,86,11,220	4,03,11,597
630012	बिजली प्रभार	28,66,69,080	26,02,88,525
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	22,27,27,709	21,70,00,474
630015	निकर्षण अनुरक्षण	1,22,27,55,406	1,26,08,63,798
630016	विविध व्यय	3,32,16,697	2,95,97,861
630017	बीमा	55,87,669	63,09,319
630018	स्व खपत-बिजली	1,69,22,267	1,54,33,175
	<b>कुल (डी)</b>	<b>1,91,61,27,368</b>	<b>2,07,23,25,243</b>

जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
	<b>सुरक्षा व्यय</b>		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	38,38,572	33,02,847
640002	आई एस पी एस	1,00,000	3,12,500
640004	के.ओ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	10,81,45,701	11,41,60,559
640005	एसईजेड-लागत वसूली	19,90,445	10,96,838
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	87,01,785	77,03,516
	<b>कुल (ई)</b>	<b>12,27,76,503</b>	<b>12,65,76,260</b>
	<b>चिकित्सा व्यय</b>		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	21,16,547	26,31,742
650002	भण्डार-चिकित्सा	2,03,97,136	1,78,62,270
650003	प्रावधान-चिकित्सा	1,52,403	1,31,791
650004	अस्पताल उपकरण	1,03,454	7,57,274
650005	चिकित्सा व्यय	18,70,011	11,86,120
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान किए गए प्रभार	45,65,900	51,61,349
650007	चिकित्सा उपचार-पेशनर	99,748	80,644
	<b>कुल (एफ)</b>	<b>2,93,05,199</b>	<b>2,78,11,190</b>
	<b>मूल्यहास</b>		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	16,66,65,138	17,07,02,001
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	8,43,234	43,99,794
	<b>कुल (जी)</b>	<b>16,75,08,372</b>	<b>17,51,01,795</b>
	<b>कुल योग(ए) से (जी) तक</b>	<b>4,15,82,25,082</b>	<b>4,25,44,44,811</b>

ह/-  
 वित्तीय सलाहकार एवं  
 मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह  
मार्च 2024 तक तूलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण		2023-24		2022-23	
ए	<b>निधियों के स्रोत</b>				
	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अन्दान	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अन्दान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,98,45,895	11,86,366
	<b>कुल</b>		<b>11,86,366</b>		<b>11,86,366</b>
बी	<b>निधि का उपयोग</b>				
	<b>अचल सम्पत्ति</b>				
	सकल ब्लॉक	18,98,55,188		18,98,56,828	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
	न्यून : प्राप्त अन्दान	18,98,55,188	9,293	18,98,56,828	10,933
		18,98,45,895		18,98,45,895	
	<b>चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम</b>				
	<b>ए. चालू परिसंपत्तियाँ:</b>				
	(i) निवेश पर अर्जित ब्याज	11,97,465		8,90,877	
	(ii) विविध देनदार	1,56,99,985		1,44,99,007	
	(iii) नकद और बैंक में जमा राशि	4,61,22,398		4,79,70,574	
	<b>बी. ऋण एवं अग्रिम</b>	3,53,588		3,53,588	
<b>कुल</b>	6,33,73,437		6,37,14,046		
न्यून: चालू देनदारियों और प्रावधानों	9,38,18,404		9,24,68,443		
<b>निवल वर्तमान परिसंपत्तियाँ</b>		-3,04,44,967		-2,87,54,397	
लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)		3,16,22,039		2,99,29,830	
	<b>कुल</b>		<b>11,86,366</b>		<b>11,86,366</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची - IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह  
31.03.2024 3 को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

व्यय	राशि 2023-24	राशि 2022-23	आय	राशि 2023-24	राशि 2022-23
वेतन और अन्य लाभ	1,98,00,835	2,01,31,696	टोल संग्रह	76,61,968	97,31,214
बिजली प्रभार	21,54,674	21,20,115	बिजली प्रभार	20,13,723	17,76,919
सुरक्षा प्रभार	50,20,395	37,90,101	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	44,38,800	34,68,669
जल प्रभार	19,60,316	16,02,086	भूमि पर लीज भाड़ा	74,44,402	70,08,161
मरम्मत और अनुरक्षण	29,47,464	13,27,211	भवन एवं जमीन भाड़ा	41,14,624	45,61,108
व्यावसायिक प्रभार	5,04,000	5,73,538	विविध प्राप्तियाँ	13,20,523	27,20,413
मुद्रण और लेखन सामग्री	58,994	34,857	स्लीपवे का लीज	21,74,298	21,31,665
विविध व्यय	1,08,891	82,104	जल प्रभार	7,31,511	7,21,083
यात्रा व्यय	39,895	67,624	लाइसेंसकरण एवं लाइसेंस शुल्क	8,50,570	10,67,789
दूरभाष प्रभार	17,985	22,575	मत्स्य अवतरण प्रभार	50,305	6,55,696
विज्ञापन व्यय	-	1,33,580	बैंक ब्याज	22,30,446	17,14,141
अवमूल्यन	1,640	1,929	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	80,509	77,712
सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	21,78,092	22,14,487	निवल घाटा	16,92,209	-
बैंक प्रभार	10,706	-			
निवल अधिशेष	-	35,32,668			
	3,48,03,888	3,56,34,570		3,48,03,888	3,56,34,570

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह  
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	राशि 2023-24	राशि 2022-23	भुगतान	राशि 2023-24	राशि 2022-23
हाथ में आदि नकद	1,23,528	10,000	वेतन और पीएलआर	2,14,50,912	1,92,23,925
बैंक में आदि नकद	4,78,47,046	4,42,08,328	यात्रा व्यय	55,854	51,139
मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	80,509	77,712	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	46,307	35,901
मत्स्य अवतरण प्रभार	50,305	6,55,696	विज्ञापन प्रभार	-	1,03,580
मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	44,38,800	34,68,669	मरम्मत और अनुरक्षण	8,31,986	9,25,010
टोल संग्रह	73,36,558	72,20,157	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	-	3,31,237
बैंक ब्याज	19,23,858	40,60,016	दूरभाष प्रभार	17,985	22,575
संग्रहित जी एस टी	22,25,336	52,02,258	बिजली प्रभार	21,54,674	21,20,115
अन्य परिचालन राजस्व प्राप्तियाँ	2,04,85,033	1,85,42,433	जल प्रभार	19,60,316	16,02,086
			चेक प्रभार	11,709	7,819
			विविध व्यय	82,569	86,447
			व्यावसायिक प्रभार	5,89,680	5,23,978
			सुरक्षा प्रभार	66,21,842	28,86,461
			टी डी एस देयिता भुगतान	2,58,508	1,52,199
			वाटर एटीएम की खरीदी	-	6,43,083
			कार्यालय व्यय	93,921	-
			जी एस टी भुगतान	42,12,312	67,59,141
			इति नकद शेष	1,23,955	1,23,528
			इति बैंक शेष	4,59,98,443	4,78,47,046
	8,45,10,973	8,34,45,270		8,45,10,973	8,34,45,270

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

## कोचिन पत्तन प्राधिकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. आय और व्यय की गिनती लेखांकन के व्यापारिक प्रणाली पर आधारित है।
2. आय के लेखांकन के समय रूढ़िवादी सिद्धांत का पालन किया गया है।
3. अचल सम्पत्ति, वस्तुसूची और निवेश की गिनती ऐतिहासिक लागत प्रणाली पर की जाती है।
4. परिसम्पत्ति का मूल्य को जीवन काल के अंत में ₹.1/-मानते हुये सीधी रेखा के आधार पर लेखा में मूल्यहास प्रदान किया गया है। सम्पत्ति का जीवन काल भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर तय किया गया है। पूंजीकरण कि तिथि से उचित अनुपात में अवमूल्यन किया जाता है।
5. लंबी अवधि के निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
6. भूमि की लीज पर प्राप्त अग्रिम भुगतान लीज अवधि के लिये समरूप से परिव्याप्त है।
7. भूमि के लीज पर प्रीमियम को वित्त और विविध आय के तहत प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में विचार किया जाता है।
8. पूर्वावधि मदें, जैसे कि आय अथवा व्यय जो वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में उत्पन्न त्रुटियों अथवा चूक अथवा एक या एकाधिक पूर्वावधियों के बिल या दावों के संशोधन के कारण चालू वित्त वर्ष में पैदा हुआ है, को वित्त और विविध आय अथवा वित्त एवं विविध व्यय के अधीन शामिल किया गया है।
9. विविध निधियों के निवेश से प्राप्त आय संबंधित निधियों को दिये जाते हैं।
10. आकस्मिक देनदारियों को लेखा के लिये "अन्य टिप्पणियों" में प्रकाशित किया जाता है।
11. विशेष अचल परिसम्पत्तियों से संबंधित प्राप्त सहायता अनुदान को उनके अंकित मूल्य प्राप्त करने में संबंधित परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाते हुये तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।
12. कार्गो और पोत संबंधित सेवाओं पर राजस्व सेवा के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त है। संपत्ति से राजस्व समय के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
13. सभी नए कार्य या मौजूदा कार्यों में परिवर्धन/परिवर्तन या सभी नए संयंत्र या उपकरण या शिल्प या संयंत्र या उपकरण या शिल्प के प्रतिस्थापन जिनकी अनुमानित लागत ₹1 लाख से अधिक नहीं है, राजस्व में प्रभारित किए जाते हैं। पांच वर्ष से अधिक की अपेक्षित अवधि वाली परिसंपत्तियों पर व्यय को नवीन लघु निर्माण के रूप में राजस्व में शामिल किया जाता है।
14. पट्टादारों में लिए गए भवन का लेखांकन विचार इस प्रकार होगा:  
मामला I : जब भवन किसी पट्टेदार से लागत के साथ अथवा बिना किसी लागत के लिया जाता है और बाद में पट्टे के साथ या बिना किराए पर दिया जाता है या स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऐसी इमारत को खातों की पुस्तकों में ₹.1 या लागू स्वीकार्य / मूल्यहास लागत पर अधिग्रहण की तिथि से पूंजीकृत किया जाएगा।

मामला II: जब भवन पट्टेदार से लिया जाता है (जिस का नियंत्रण कोचिन पत्तन के साथ अस्थायी प्रकृति का है) और भवन की लागत के साथ नए पट्टेदार को भूमि के साथ पट्टे पर दिया जाना है , तो नए पट्टेदार से प्राप्त राशि पुराने पट्टेदार को, पत्तन को देय यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद दी जाएगी। इस मामले में भवन/परिसंपत्ति को खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया जाएगा , लेकिन वर्ष के अंत में अभी तक पट्टे पर नहीं लिए गए भवन का विवरण वार्षिक खातों का हिस्सा बनने वाले खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में जहां पुराने पट्टेदार द्वारा पत्तन को भवन को शून्य मूल्य पर स्थानांतरित किया जाता है लेकिन नए पट्टेदार ने नीलामी के बाद भवन के मूल्य का भुगतान किया है , ऐसे भुगतान किए गए मूल्य को पत्तन की वित्त और विविध आय के रूप में माना जाएगा।

15. मूल लागत के अतिरिक्त अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभ को पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

**कोचिन पत्तन प्राधिकरण**  
**वित्तीय वर्ष 2023-24 की लेखा हेतु टिप्पणी**

**1. पोर्ट का निष्पादन**

कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 के दौरान 35.26 एमएमटी की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 36.32 एमएमटी कार्गो हस्तन किया है। वर्ष 2022-23 में कोचिन पत्तन में 1549 जहाज़ों की तुलना में वर्ष 2023-24 में 1730 जहाज़ रवना किया गया है। पत्तन ने वर्ष 2022-23 में 6,95,230 टीईयू कि तुलना में वर्ष 2023-24 में 7,54,237 टीईयू कंटेनर हस्तन किया है।

**2. अनुदान सहायता:**

ए) पत्तन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ मियादी जमा के रूप में पार्क किए जाते हैं और आवश्यकता के आधार पर नकदीकरण किया जाता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त ब्याज संबंधित अनुदानों में जमा किया जाता है।

बी) 31.03.2024 तक अनुदान की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	रकम (₹. करोड़ में)
01.04.2023 तक अनुदान की शेष राशि	32.55
न्यून: 01.04.2023 तक मंत्रालय से प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	1.55
संयोजन: 31.03.2023 तक अर्जित ब्याज जो मंत्रालय को चुकाया जाएगा	4.21
संयोजन: विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	5.89
संयोजन: 2023-24 के दौरान अर्जित ब्याज	2.58
2023-24 के दौरान समायोजित कम व्यय	11.95
न्यून: 31.03.2024 तक अर्जित ब्याज मंत्रालय को वर्तमान देनदारियों के तहत पुनर्स्थापित किया जाएगा	6.79
संयोजन: मंत्रालय से प्राप्य अनुदान को ऋण और अग्रिम के अंतर्गत पुनर्स्थापित किया गया	0.94
<b>31.03.2024 तक शेष अनुदान</b>	<b>25.88</b>

**3. भारत सरकार से लिया गया ऋण**

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित 31.03.2016 को भारत सरकार के ऋण की अंतिम देनदारी ₹558.53 करोड़ रुपये है। प्रतिबद्धता के अनुसार पत्तन ने मार्च 2019 और मार्च 2020 प्रत्येक में ₹55.85 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त का भुगतान किया है। इसके अलावा, सीसीईए ने 3 साल (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अधिस्थगन देने के लिए सीओपीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी , जिसे मंत्रालय ने पत्र संख्या पीडी-25021/4/2013-सीओपीटी (पीटी.आई) (ई 316731) दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से सूचित



किया था , परिणामतः 2023-24 से शुरू 8 वर्षों में ₹446.83 करोड़ की शेष जमा राशि का पुनर्निर्धारण किया गया है। पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में भारी घाटे को देखते हुए , श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के वेतन संशोधन और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए आगामी देयता, जिससे पत्तन पर वित्तीय दबाव बढ़ने की संभावना है, भारत सरकार के बकाया ऋण की माफी के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। चूंकि छूट का प्रस्ताव प्रगति पर है , इसलिए सीओपीए ने वित्त वर्ष 2023-24 में देय किस्त का भुगतान नहीं किया है।

4. अन्य स्रोतों से ऋण:

सीओपीए के खातों में एडीबी/डच ऋण सहित ब्याज के रूप में ₹2.64 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जो 1990 के दशक में पत्तन द्वारा लिया गया था। वर्ष 2018 के दौरान , मंत्रालय ने पत्तन को सूचित किया कि मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार ₹0.36 करोड़ रुपए की राशि बकाया है और पत्तन को इसे निपटाने का निर्देश दिया। तदनुसार, पत्तन ने 2018 में बोर्ड की मंजूरी से बकाया राशि का निपटान किया। चूंकि, पत्तन द्वारा मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार बकाया राशि का निपटान कर दिया गया है और चूंकि मंत्रालय की ओर से कोई और दावा नहीं है , अतः सीओपीए की पुस्तकों में शेष बकाया ऋण को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से बट्टे खाते में डाल दिया गया।

5. लेखांकन मानकों का अनुपालन:

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, महापत्तन प्राधिकरणों पर लेखांकन मानक लागू होते हैं। अतः खातों की प्रस्तुति और लेखांकन मानकों के अनुपालन की एक समान रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पत्तन संघ ने भारत में महापत्तनों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के लिए एक सामान्य रूपरेखा , विषय-वस्तु, प्रारूप और समय-सीमा तैयार करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को नियुक्त किया है, जो प्रगति पर है। जब तक इस संबंध में मंत्रालय के अनुमोदन से सामान्य ढांचे पर एक समान दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाता , पत्तन, आईपीए शासी निकाय द्वारा मार्च 2022 में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मौजूदा प्रणाली को जारी रखेगा।

6. पूंजी भंडार:

वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों की बिक्री से ₹2.87 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ हुआ , जो मूल लागत से अधिक है, जिसे पूंजी भंडार में स्थानांतरित कर दिया गया है।

7. सांविधिक आरक्षित निधि :

1976 में मंत्रालय के निर्देशानुसार, पूंजीगत परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण तथा विकास , ऋणों की अदायगी और आकस्मिकताओं के लिए दो सांविधिक आरक्षित निधि बनाए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में नियोजित पूंजी राशि का 3% इन कोषों में स्थानांतरित किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान , सीओपीए ने पिछले वर्षों 2021-22 और 2022-23 की कमी के साथ इन भंडारों के लिए ₹ 11.46 करोड़ हस्तांतरित किए हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	प्रत्येक 3% की दर से सांविधिक आरक्षित निधि बनाई जाएगी (₹ करोड़ में)
2021-22	102.56	6.15
2022-23	41.78	2.51
2023-24	46.48	2.79
कुल	190.82	11.45

दीर्घकालिक निवेश के अंतर्गत सांविधिक भंडार के लिए भी पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है।

**8. पूंजीकरण:**

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹.4.24 करोड़ की संपत्ति का पूंजीकरण किया गया है। ₹.0.68 करोड़ राशि के साथ 31.03.2024 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

**9. पूंजीगत व्यय:**

वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	सरकारी बजटीय सहायता से (जीबीएस)	0.00
2	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से (आईईवीआर)	
	(ए) आंतरिक संसाधन	3.21
	(बी) विभिन्न मंत्रालयों से अनुदान	11.45
	(सी) अन्य अभिकरणों	0.04
	<b>कुल पूंजीगत व्यय</b>	<b>14.70</b>

**10. प्रावधान :**

वर्ष 2023-24 के लिए वेतन पर व्यय में श्रेणी III एवं IV के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए ₹18.42 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान शामिल है , जो 01.01.2022 से प्रभावी है। वेतन संशोधन देयता को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए , वर्ष 2022-23 के लिए ₹8.94 करोड़ का प्रावधान जो नीचे उल्लिखित एस एंड डब्ल्यू के विभिन्न शीर्षों में दर्शाया गया था, को हटा दिया गया है और इसे अलग से "वेतन और मजदूरी-मजदूरी संशोधन" शीर्षक के तहत दर्शाया गया है।

जीएल कोड	विवरण	वार्षिक लेखा 2022-23 में प्रकाशित	वेतन संशोधन शामिल	वार्षिक लेखा 2023-24 के अनुसार
600000	एस एंड डब्ल्यू (सामान्य)	25,43,09,218	1,24,64,376	24,18,44,842

600007	एस एंड डब्ल्यू (परिचालन)	67,11,47,521	4,78,16,932	62,33,30,589
600008	एस एंड डब्ल्यू (आर एंड एम)	34,28,82,757	2,32,88,584	31,95,94,173
650000	एस एंड डब्ल्यू (मेडिकल)	9,19,71,152	58,32,864	8,61,38,288
	कुल		8,94,02,756	

## 11. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर के लिए ₹.17,49,821/- प्रदान की गई है। (2022-23 के दौरान लाभ का 3% यानि ₹.5,83,27,371) 31.03.2024 तक सीएसआर देनदारी ₹.66,54,775/- है।

## 12. कर संबंधी मामले

### ए) आयकर

- मूल्यांकन वर्ष 2022-23 तक आयकर निर्धारण पूरा हो गया है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए ₹.18.17 करोड़ का आयकर रिफंड (ब्याज सहित) प्राप्त हुआ।
- माननीय आईटीएटी के आदेश के अनुसार पिछले मूल्यांकन वर्षों की आय के अधिक आवेदन पर विचार करने हेतु मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के लिए पत्तन द्वारा दायर किए गए सुधार याचिका क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास लंबित है।
- पिछले वर्षों से संचित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास के कारण चालू वर्ष के कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

### (बी) सेवा कर

मेसर्स आईजीटीपीएल से अयोग्य सेनवैट क्रेडिट, कानूनी शुल्क, परिसमाप्त क्षति (अनुलग्नक I), संपत्ति किराये, रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान आदि प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर जिसमें ₹16.101 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ शामिल है, का संग्रहण न होने के कारण जो विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष अपील की कार्यवाही के अधीन हैं, विवादित 11 संख्यक सेवा कर मांगों के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

### (सी) जीएसटी

जीएसटी विभाग ने अचल संपत्ति के निर्माण पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में ₹11.52 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पत्तन ने विभाग को जवाब भेज दिया है। विभाग से आगे कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(डी) आस्थगित कर

आय एएस-22 पर करों के लिए लेखांकन पर लेखा मानक के संदर्भ में भविष्य में कर योग्य मुनाफे की आभासी/उचित निश्चितता के अभाव में खातों में आस्थगित कर संपदा (नेट) को स्वीकार नहीं किया गया है।

13. सेवानिवृत्ति लाभ:

(ए) पोर्ट ने 06.03.2007 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के साथ 2008 में पेंशन और ग्रेच्युटी फंड के लिए अलग-अलग ट्रस्ट बनाए हैं। इन ट्रस्टों के खाते अलग से तैयार किए जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है।

(ए) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 31.03.2024 के आंकड़ों के आधार पर की गई ऑन रोल कर्मचारियों के पेंशन देयता का बीमांकिक मूल्यांकन ₹.698.83 करोड़ है। उसी प्रकार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की देयता 31.03.2024 तक ₹.2160.27 करोड़ है। इसी प्रकार, पेंशन देनदारी का कुल बीमांकिक मूल्यांकन ₹2,859.10 करोड़ है। ₹2859.10 करोड़ रुपये के बीमांकिक मूल्यांकन के मुकाबले पेंशन निधि में उपलब्ध वास्तविक निधि ₹1083.26 करोड़ रुपये है, जो ₹1775.84 करोड़ रुपये की कमी दर्शाती है। वर्ष 2023-24 के लिए पेंशन फंड ट्रस्ट का योगदान ₹466.86 करोड़ है जिसमें ₹249.19 करोड़ का पेंशन भुगतान शामिल है। बोर्ड के निर्देशानुसार संकल्प संख्या 106 दिनांक 22.08.2015 के अनुसार भूमि के पट्टे पर प्रीमियम की राशि ₹ 0.14 करोड़ पेंशन निधि में स्थानांतरित की जाती है। अधिशेष और आरक्षित स्थिति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कमी की देनदारी को पूरा किया जाएगा।

(बी) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 31.03.2024 तक ऑनरोल कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारी का बीमांकिक मूल्यांकन ₹129.75 करोड़ है। वर्ष 2023-24 के लिए ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट का योगदान ₹59.82 करोड़ है, जिसमें 2023-24 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹19.17 करोड़ का ग्रेच्युटी भुगतान शामिल है। 31.03.2024 तक उपलब्ध ₹73.33 करोड़ की वास्तविक निधि और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देनदारी के बीच ₹56.42 करोड़ की कमी को भविष्य में अधिशेष और भंडार की उपलब्धता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

(सी) नई पेंशन योजना में पत्तन का योगदान भी लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। जो कर्मचारी 31.12.2003 के बाद पत्तन सेवा में शामिल हुए हैं, वे नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। उक्त कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान मासिक आधार पर पोर्ट के पंजीकरण कोड के तहत एनएसडीएल के माध्यम से एनपीएस ट्रस्ट को भेजा जा रहा है। 31.03.2024 तक 179 कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

14. अवकाश नकदीकरण

31.03.2024 तक कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए एलआईसी के माध्यम से किया गया बीमांकिक मूल्यांकन ₹ 38.09 करोड़ है। अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के संबंध में , पत्तन द्वारा भविष्य में आई.पी.ए./मंत्रालय से प्राप्त होने वाले सामान्य ढांचे के अनुरूप तथा पत्तन की वित्तीय स्थिति के अनुरूप उचित कार्रवाई यदि कोई हो, की जाएगी।

15. सामान्य भविष्य निधि

सामान्य भविष्य निधि के सदस्यों से भविष्य निधि अंशदान के रूप में वसूल की गई राशि कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। तदनुसार, फंड शेष, दी गई अग्रिम राशि, अंतिम धन प्रत्याहार, बैंक इति शेष, अदेय अर्जित ब्याज और उस पर अधिशेष निधि का निवेश , जिसका प्रकटीकरण प्रासंगिक लेखा शीर्ष के तहत 31.03.2024 तक किया गया है , जिसे नेट ऑफ के रूप में वर्तमान देनदारियों के तहत पुनः समूहीकृत किया गया है।

16. जमा कार्य

जमा कार्यों के कारण प्राप्त राशि, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई अग्रिम राशि और उस पर शेष धनराशि का निवेश, जिसका खुलासा प्रासंगिक लेखा शीर्षों के तहत 31.03.2024 तक किया गया है, को नेट ऑफ के रूप में चालू देनदारियों के अंतर्गत पुनः समूहीकृत किया गया है।

17. आकस्मिक देयताएं:

अनिश्चित प्रकृति के कारण लेखा पुस्तिका में आकस्मिक देनदारियों का प्रावधान नहीं किया गया है और जो आर्बीट्रेशन और कानूनी कार्यवाही के कारण विवादित हैं, वे इस प्रकार हैं;

ए) आर्बीट्रेशन और उस पर कानूनी कार्यवाही अनुबंध II के रूप में दी गई है।

बी) अन्य कानूनी कार्यवाही की स्थिति इस प्रकार है:

(i) मेसर्स जखाऊ साल्ट कंपनी प्रा. लिमिटेड द्वारा मट्टांचेरी वार्फ के ढहने के कारण माल की हानि के लिए ₹1.47 करोड़ के लिए पत्तन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। पत्तन ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। सीओपीए द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय में दायर आरएफए 358/12 अभी भी लंबित है। मामला 26.10.2023 को पोस्ट किया गया।

(ii) 75 दिनों से अधिक समय से वसूले गए अतिरिक्त भूमि किराये (लगभग ₹1.58 करोड़) की वापसी के संबंध में , माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में विभिन्न ग्राहकों के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामले लंबित हैं।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2525/2018 पर दिनांक 05.08.2020 के अपने निर्णय में अपीलकर्ता (कोचिन पत्तन) को स्टीमर एजेंटों की देयता की पुनः गणना करने तथा संबंधित निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर शेष राशि संबंधित पक्षों को वापस करने का आदेश दिया है।

तदनुसार, कोचिन पत्तन ने आदेश के अनुपालन में , पत्र संख्या ए6/एसएलपीएस/2012/2017/टी दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से सभी पक्षों से कंटेनरों के विवरण के साथ इस संबंध में किए गए भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत

करने का अनुरोध किया है। अब तक किए गए कुल प्रतिदाय (रिफंड) की राशि ₹42,90,373/- है। इस मामले में किसी अन्य पक्ष ने अब तक भुगतान के लिए संपर्क नहीं किया है।

- (iii) पुत्तुवाइपीन में एसईजेड क्षेत्र को सीधा सड़क संपर्क प्रदान करने की परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण मामलों के संबंध में , कोचीन पोर्ट ने बेदखलियों/दावेदारों द्वारा दायर निष्पादन याचिका में सशर्त स्थगन के लिए डिब्री ऋण के 50% के लिए उप न्यायालय, कोच्चि में 1.07 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई है। शेष राशि का प्रेषण अंतिम निर्णय के अधीन है। पुत्तुवाइपीन एसईजेड में सह-डेवलपर्स अर्थात पीएलएल , बीपीसीएल-केआर और आईओसीएल से अनुरोध किया गया था कि वे कोचिन पत्तन द्वारा अग्रिम 50% राशि में से अपने हिस्से की प्रतिपूर्ति करें और तीनों सह-डेवलपर्स ने अपने हिस्से की ₹26.97 लाख प्रतिपूर्ति की है।

केरल राज्य द्वारा दायर 12 भूमि अधिग्रहण अपील (एलएए 706/2013 और 11 अन्य) जिसमें उप-न्यायालय, कोच्चि द्वारा एलएआर में दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी , को उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.10.2023 के अपने फैसले में खारिज कर दिया। कानूनी सलाहकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की गुंजाइश का विश्लेषण किया जा रहा है।

- (iv) कोचिन पत्तन ने 02.07.2012 को 3 महीने की पूर्णता अवधि के साथ ₹16,77,000/- के कुल अनुबंध मूल्य पर मेसर्स अम्ब्लीगोला एक्सपोर्टर्स , बेंगलूर को “कोचीन फिशरीज हार्बर पर 3 20 मीटर हाई मास्ट प्रकाश प्रणाली की आपूर्ति , स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग” के लिए कार्य आदेश दिया था। लेकिन ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने में पांच महीने की देरी की गई। एलडी, केबल ट्रेच के चार्ज को बहाल करने और जेसीबी का उपयोग करके नींव के गड्डे को भरने के लिए ₹5,02,278/- की राशि काट ली गई। मेसर्स अम्ब्लीगोला एक्सपोर्टर्स ने कोच्चि के माननीय मुंसिफ न्यायालय में कोचिन पत्तन के खिलाफ मामला दायर किया और न्यायालय का फैसला वादी मेसर्स अम्ब्लीगोला एक्सपोर्टर्स के पक्ष में आया , जिसमें कोचिन पत्तन को मेसर्स अम्ब्लीगोला एक्सपोर्टर्स को 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ ₹5,16,708/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 15.03.2019 को माननीय मुंसिफ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। इसे माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम द्वारा 15.2.2024 को खारिज कर दिया गया।

- (v) मध्यस्थ द्वारा जारी दिनांक 20.06.2020 के निर्णय के अनुसार , वर्ष 2017-18 के लिए कोचीन पोर्ट के चैनल और बेसिन के रखरखाव के लिए ड्रेजिंग के कार्य के संबंध में, कोचीन पोर्ट 10% के साथ-साथ सुरक्षा जमा राशि भी रख सकता है और 25% रोकी गई राशि के स्थान पर बिल राशि का 15% डीसीआई को जारी कर सकता है। तदनुसार, बोर्ड के अनुमोदन से [संकल्प संख्या 50 ( कार्यसूची मद संख्या बी2) दिनांक 28.08.2020] और डीसीआई से यह वचन प्राप्त करने के बाद कि ₹11.95 करोड़ के साथ जीएसटी (कुल राशि ₹14.09 करोड़) अनुबंध का पूर्ण और अंतिम निपटान है, ₹11.95 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया गया है। हालांकि, बाद में डीसीआईएल ने 22.01.2021 और 23.10.2021 के पत्र के माध्यम से रोकी गई ₹5.59 करोड़ की एसडी राशि जारी करने का दावा किया। कोचिन पत्तन ने डीसीआईएल के अनुरोध पर सहमति नहीं जताई और कानूनी सलाहकार की सलाह के आधार पर 25.11.2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किया।

इस संबंध में , डीसीआई ने दिनांक 04/05/2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि वे आर्बीट्रेशन कार्यवाही शुरू कर रहे हैं और सीओपीए से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में आर्बीट्रटर की नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित करें। जवाब में , सीओपीए ने दिनांक

14/06/2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मामले को दोबारा खोलने या पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस प्रकार सीओपीए, ₹5.59 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि वापस करने के उनके दावे को स्वीकार करने में असमर्थ है और इस संबंध में किसी आर्बीट्रटर की नियुक्ति भी नहीं कर सकता।

(vi) लिंक रोड (एनएच 47-ए) का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के निक्षेप कार्य के रूप में सीओपीए द्वारा किया गया था, जिसके लिए मेसर्स डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जमीन सुधार कार्य किया गया था। डी.सी.आई. के 3.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त दावे को पत्तन द्वारा विवादित कर दिया गया, जिसके लिए डी.सी.आई. आर्बीट्रिशन के लिए गया और जनवरी 2008 में मामला जीत गया। निर्णय के अनुसार, डीसीआई 01.07.1993 से भुगतान की तिथि तक या 15.05.2008 तक जो भी पहले हो, 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का योग्य है, अन्यथा भुगतान की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। पत्तन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से आर्बीट्रिशन आर्वाड राशि का दावा किया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इसे प्राप्त होने पर, 26.08.2016 को डीसीआई को इसका भुगतान किया गया। पत्तन ने यह रख अपनाया है कि बकाया राशि का भुगतान तभी किया जा सकता है जब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राशि जारी की जाए। इसलिए, इस मामले पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अब, डीसीआई ने दिनांक 15.04.2024 के पत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 29.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ1/7/2022-पीपीडी के माध्यम से जारी विवाद से विश्वास-II योजना के अनुसार ₹ 17.37 करोड़ के संशोधित ब्याज का दावा किया है। सीओपीए अब इस मामले को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संज्ञान में लाते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाने की प्रक्रिया में है।

(vii) कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामले जिनमें नियुक्तियों, पदोन्नति, वरिष्ठता, एमएसीपी, नियमितीकरण आदि को चुनौती दी गई है, विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

सी) अन्य प्रकटीकरण:

i) रो-रो परिचालन के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ संयुक्त उद्यम

रो-रो टर्मिनल 25.02.2011 को परिचालन में आया। आईडब्ल्यूआई एवं कोचिन पत्तन के बीच 08.10.2009 को हुई समझौता ज्ञापन के अनुसार बोलगाट्टी एवं विल्लिंगडन आईलैण्ड में रो-रो टर्मिनल के प्रबंधन व परिचालन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त प्रबंधन समिति (जेएमसी) का गठन कर दोनों पक्ष यानि पत्तन एवं आईडब्ल्यूआई द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार, पत्तन ठेकेदार से टर्मिनल शुल्क के संग्रह की व्यवस्था करेगा और टर्मिनलों के उपयोग से संबंधित सभी लेनदेन का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगा। प्रशासनिक व्यय राजस्व से अर्जित किया जाएगा एवं सृजित शुद्ध अधिशेष के अनुपात 70% आईडब्ल्यूआई और 30% कोचिन पत्तन के साथ साझा किया जाएगा। ठेकेदार से टर्मिनल उपयोग शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान करने हेतु जेएमसी के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला गया।

निविदा शर्तों के अनुपालन में विफलता के कारण पोर्ट ने मेसर्स लॉट्स शिपिंग पार्टी को जून 2017 से परिचालन को रोकने का निर्देश दिया। बाद में पार्टी ने पोर्ट के खिलाफ आर्बीट्रेशन शुरू किया। मेसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड के पक्ष में जारी दिनांक 26.09.2019 के आर्बीट्रेशन निर्णय के अनुसार, पत्तन द्वारा निर्णय की तिथि से वसूली तक 9% ब्याज के साथ ₹57,99,411/- की राशि देय थी, जिसका निपटान 16.02.2023 को हस्ताक्षरित निपटान समझौते के अनुसार दिनांक 12.04.2023 को ₹39,79,984/- के एकमुश्त भुगतान के साथ किया गया।

ii) **1996 पूर्व पट्टाधारियों से बकाया देय**

1996 पूर्व पट्टाधारियों के संबंध में, पत्तन ने वर्ष 2014 में टाम्प अधिसूचित दर 2010 पर आधारित संशोधित लीज भाड़ा लगाया है। हालांकि, कोचिन पोर्ट लीज होल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से केरल के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 25.02.2015 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। इस बीच, संपदा भाड़ा को एक बार फिर से टाम्प अधिसूचना संख्या 304 दिनांक 22.07.2016 में संशोधित किया गया और यह 21.08.2016 से प्रभावी हुआ। पत्तन द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, टाम्प अधिसूचित दर पर बिलों को 21.08.2016 से 1996 पूर्व पट्टाधारियों सहित सभी पट्टों के संबंध में उठाया गया था। हालांकि कोचिन पोर्ट लीजहोल्डर्स एसोसिएशन डब्ल्यूपी(सी) सं.12138/2017 (एन) के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ताओं (1996 पूर्व पट्टाधारी) ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिनांक 06.04.2017 के आदेशानुसार वर्द्धित राशि की वसूली के लिए अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। बाद में, माननीय उच्च न्यायालय ने दि.04.09.2019 के निर्णय के अनुसार कोचिन पत्तन के पक्ष में डब्ल्यूपी सं.5974/2015 एण्ड 29/2015 को खारिज कर दिया। तदनुसार कोचिन पत्तन ने फ़रवरी 2020 को टाम्प 2010 यानि 01.10.2014 से 20.08.2016 तक लीज भाड़ा में अंतर राशि के लिए बकाया बिलों की मांग की। 31.03.2024 तक मुकदमेबाजी के तहत कुल बकाया ₹1.54 करोड़ है, जिसमें से ₹0.66 करोड़ उपरोक्त निर्णय से संबंधित है।

iii) **जेट्टियों पर लाइसेंस शुल्क**

पोर्ट, कोचिन पोर्ट(जेट्टियों, स्लीपवेज एण्ड बोट पेंस के लाइसेंसिंग) विनियम, 1968 एवं 1996 में इसके संशोधनों के आधार पर जेट्टियों एण्ड पायरो से लाइसेंस शुल्क संग्रह करता है। शुरू में लाइसेंस शुल्क ₹1,297 प्रति जेट्टी प्रति वर्ष था जिसे बाद में उन लोगों, जो दूसरों से संबंधित वल्लम/नौकाओं को बांधने के लिए अपने जेट्टी को किराए पर देते हैं, के लिए ₹1,00,000 प्रति जेट्टी प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया, ये संशोधन 13.05.2014 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कि ए गए तथा 16.06.2014 को जेट्टी मालिकों को



इसकी सूचना दी गयी। जेट्टी मालिकों ने माननीय उच्च न्यायालय केरल में रीट याचिका दायर की और यह अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता मांगी गई राशि का एक/चौथाई भुगतान करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। उपयोग में आ रहे 287 जेट्टियों में से केवल 65 मालिकों ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। शेष राशि मुकदमे के कारण लंबित है। इसके बाद पत्तन ने दरों में कमी की और जेट्टी के विवरण के आधार पर ₹2000/- से ₹100000/- के बीच एक स्लैब दर पेश किया। इन दरों को वर्ष 2016 में टाम्प द्वारा पत्तन के एसओआर में सामान्य संशोधन में शामिल किया गया, जो 21.08.2016 को अस्तित्व में आया।

टाम्प ने अपनी अधिसूचना (22.10.2019) द्वारा जेट्टी के लिए संशोधित एसओआर और 2016 में कोचिन पत्तन के बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क अधिसूचित किया। सीओपीटी (जेट्टी, पियर्स और स्लिपवे का लाइसेंस) विनियमन, 2020 जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जेट्टी लाइसेंस शुल्क एमपीटी अधिनियम की धारा 48 और 49 द्वारा निर्धारित एसओआर के अनुसार होगा। कोचिन पत्तन के विधि प्रकोष्ठ ने कहा, चूंकि डब्ल्यूपी ने इस आधार पर मांग नोटिस को चुनौती दी थी कि एसओआर को टाम्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, नियमानुसार नए सिरे से मांग नोटिस हमेशा बनाया जा सकता है। जेट्टी मालिकों द्वारा दायर किए गए कई मुकदमे चल रहे होने के कारण जेट्टी लाइसेंस शुल्क की वसूली की स्थिति लंबित है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्राप्त होने वाली लाइसेंस फीस को लेखा पुस्तकों में आय के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

#### iv) एनटीबी और एसटीबी की बिजली बिल

नर्थ एवं साउथ टैंकर बर्थों में पोर्ट के एचटी बिजली संयोजन को एचटीआईआई (गैर औद्योगिक - गैर वाणिज्यिक) टैरिफ के तहत बिल किया गया। टैरिफ में संशोधन के परिणामस्वरूप केएसईबी ने 15.05.1999 से एचटी II से एचटी IV (वाणिज्यिक) टैरिफ का पुनर्वर्गीकरण किया और केएसईबी ने मई 1999- जुलाई 2010 की अवधि के लिए संशोधित बिल जारी किया और बकाया राशि की मांग की। कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने बकाया की मांग के खिलाफ केएसईबीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के समक्ष एक याचिका दायर की और एचटी-II के रूप में टैरिफ को बनाए रखने का अनुरोध किया। हालांकि सीजीआरएफ ने केएसईबीएल के फैसले को सही ठहराया। इस पर असंतुष्ट कोचिन पत्तन ने माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील की एवं लोकपाल ने आखिरकार आदेश दिया कि एनटीबी और एसटीबी पर कोचिन पत्तन के टैरिफ को केवल एचटी- II के तहत बरकरार रखा जाए। केएसईबी ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोकपाल के आदेश के खिलाफ एक रीट

याचिका दायर की। केरल के माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त होना बाकी है। पत्तन वर्तमान में एचटी -II टैरिफ के तहत बिल का भुगतान कर रहा है। 31.03.2024 तक विवादों के लिए अंतर राशि 1.44 करोड़ रुपये है।

- v) पत्तन ने 28.03.2014 को मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) के खिलाफ कोच्ची के माननीय उप न्यायालय में 15% की दर से ब्याज सहित ₹1.05 करोड़ की राशि वसूलने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जो मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए टर्गों में पाए गए विनिर्माण त्रुटियों को ठीक करने के लिए कोचिन पत्तन द्वारा खर्च किया गया था। इस संबंध में, टीएसएल ने माननीय उप न्यायालय, कोच्ची के समक्ष दिनांक 06.02.2015 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें कोचिन पत्तन को दिनांक 05.10.2006 के समझौते के खंड 45.0 के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। न्यायालय ने मामले को आर्बिट्रेशन के लिए भेजने का निर्देश दिया था और दोनों पक्षों ने आर्बिट्रटर नियुक्त कर दिए हैं। हालाँकि, टीएसएल द्वारा नामित आर्बिट्रटर ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड को सूचित किया कि वह उपरोक्त विवाद में आर्बिट्रटर के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इस बीच, मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने टेबमा शिपयार्ड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अपने अधीन ले लिया है। कोचिन पत्तन का दावा समाधान योजना का हिस्सा नहीं था। एनसीएलटी की समाधान योजना में लंबित मुकदमों के लिए आकस्मिक देनदारियों के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। इसलिए यदि मुकदमे के तहत किसी भी पक्ष द्वारा कोई दावा किया जाता है, तो भी कोई राशि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके अलावा, आईबीसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, सभी दावे जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एनसीएलटी के आदेश के मद्देनजर सीओपीए सीएसएल से कोई राशि वसूल नहीं कर सकता है।
- v) संपदा भाड़ा के मामले में, उन मामलों में बिलिंग नहीं की गई है, जिनके लिए पत्तन ने फिर से शुरू करने का नोटिस दिया है और बेदखली की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे 12 लीज के मामले हैं, जिनके लिए सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम/पुनरुद्धार नोटिस जारी/मुकदमेबाजी के कारण बिलिंग रोक दी गई है। प्राप्य लाइसेंस शुल्क/पट्टा किराये की आय, जो अदालती मामलों के विचाराधीन होने के कारण विवादित है, को लेखा पुस्तिकाओं में आय के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है।

vi) पट्टेदारों से ली गई इमारतों का विवरण, 31.03.2024 तक नहीं सौंपा गया है।

से लिया गया	लिए जाने की तिथि	भवन की लागत
मेसर्स लोबो ब्रदर्स	31.01.2024	मूल्यांकन प्रगति पर है
मेसर्स पियर्स लेस्ली	24.11.2023	मूल्यांकन प्रगति पर है

डी) वर्ष के दौरान वस्तुओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जहां भी आवश्यक हो , तुलन पत्र (बैलेंस शीट), पी एंड एल खाते और अनुसूचियों के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।

ई) कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के खातों का एक अलग सेट अनुसूची IX में खातों के साथ संलग्न है।

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं

मुख्य लेखा अधिकारी

विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित सेवा कर के मामलों

क्र.सं.	एससीएन सं. एवं तिथि	मामले का संक्षिप्त विवरण	मांग (करोड़ ₹ में)	वर्तमान स्थिति
1	82/2015/एसटी दि.17.04.2015	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आईजीटीपीएल रॉयल्टी पर सेवा कर की मांग	6.63	मूल सीओसी-एक्ससस-000-सीओएम-050/2015-16 दिनांक 28.12.2015 के आदेश के विरुद्ध माननीय सीईएसटीएटी, बैंगलोर के समक्ष 6.4.2016 को दायर अपील लंबित है।
2	287/2015/ एसटी दि.09.10.2015	वित्त वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान उपयोग की गई सामान्य सेवा पर सेनवैट पर सेवा कर की मांग	2.37	जनवरी 2019 में माननीय सीईएसटीएटी, बैंगलोर के समक्ष मूल आदेश संख्या सीओसी-एक्ससस-000-सीओएम-30/2018 दिनांक 01.11.2018 के विरुद्ध ₹ 28,00,093 की जुर्माना माफ करके अपील दायर की गई।
3	146/2011 दि..10.10.2011	01.04.2010 से 30.09.2010 की अवधि के लिए अग्रिम प्रीमियम पर संपत्ति किराये पर सेवा कर	2.48	मूल आदेश संख्या 26/2013/एसटी दिनांक 23.01.2013 के विरुद्ध 09-07-2013 को माननीय सीईएसटीएटी, बैंगलोर के समक्ष अपील दायर की गई।
4	47/2012/ एसटी दि.04.04.2012	01.01.2010 से 31.03.2011 की अवधि के लिए संपत्ति किराये का सेवा कर	0.61	मूल आदेश 26-27/2013/ST दिनांक 23.01.2013 के विरुद्ध माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष 10-07-2013 को अपील दायर की गई।
5	65/2012/ एसटी दि.17.04.2012 – अपील सं. 21335/2016	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अंबुजा सीमेंट की विभिन्न सेवाएँ	1.14	31.08.2016 को मूल आदेश संख्या 90/2015-16 दिनांक 01-03-2016 (डेनोवो) के विरुद्ध माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई।
6	29/2009/ एसटी दि.02-03-2009	अक्टूबर 2007 से सितंबर 2008 तक वे लीव शुल्क	0.06	मूल आदेश संख्या 640/2014/एसटी दिनांक 27-11-2014 के विरुद्ध पोर्ट द्वारा माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई।
7	53/2014/ एसटी 08.10.2014	जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए कानूनी शुल्क पर सेवा कर	0.001	मूल एपीपी-209-2017 दिनांक 28.09.2017 के आदेश के विरुद्ध 11.12.2017 को माननीय सीईएसटीएटी, बैंगलोर में अपील दायर की गई।
8	105/2018- एसटी दि.17-04-2018	वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन पर सेवा कर	0.31	मूल आदेश 31/2020-21/एसटी दिनांक 23.03.2021 के विरुद्ध 21.06.2021 को अपील आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई।
9	104/2018/ एसटी/जेसी दि.30.07.2018	वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक परिसमाप्त क्षति पर सेवा कर	1.32	मूल आदेश संख्या 08/2021-एसटी (जेसी) दिनांक 18.01.2021 के विरुद्ध 18.03.2021 को अपील आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई।
10	58/2009 डीटी 23.04.2008	भूमि सुधार के लिए ट्रेजिंग और परामर्श सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने पर सेवा कर की मांग	1.14	मूल आदेश 04/2023-24-एसटी (एडीसी) दिनांक 02.06.2023 के विरुद्ध 07.08.2023 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
11	02/2022-एसटी दि.06.04.2022	राडार के लाइसेंस शुल्क, फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क आदि पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सेवा कर की मांग।	0.04	मूल आदेश 15/2023-एसटी दिनांक 30.06.2023 के विरुद्ध 12.10.2023 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
		<b>कुल</b>	<b>16.101</b>	

अनुबंध-II

आर्बिट्रेशन और कानूनी कार्यवाही

क्र सं.	पार्टी का नाम	मामला संदर्भ सं. (ओपी/डब्ल्यूपी सं.आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	सम्मिलित राशि	न्यायालय का स्तर	एडवोकेट का नाम	अंतिम सुनवाई और मामले की स्थिति
ए	मेसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	ओपी(आर्बी)185/20 (पूरानी सं.ओपी(आर्बी)866/17)	आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 12.05.2017 को फैसला सुनाया जिसमें आईजीटीपीएल के पक्ष में लाइसेंस अवधि शुरू होने की संशोधित तिथि प्रदान की गई थी और सीआईएसएफ की तैनाती लागत , पोर्ट के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को सेवा लाभ आईजीटीपीएल द्वारा वहन किया जाएगा, जो पोर्ट के पक्ष में है और आईजीटीपीएल और सीओपीए दोनों के शेष दावों को पार्टियों के बीच राशि की मात्रा को सुलझाने के निर्देश के साथ अस्वीकार कर दिया। आर्बिट्रेशन के आदेशों से असंतुष्ट होकर , सीओपीए ने 16.08.2017 को जिला न्यायालय , एरणाकुलम के समक्ष इस आवर्ड के खिलाफ याचिका दायर की।	आईजीटीपीएल का दावा- 300 करोड़ रुपये और सीओपीए का जवाबी दावा- 1070.71 करोड़ रुपये	प्रधान उप न्यायालय, एरणाकुलम (वाणिज्यिक न्यायालय, एरणाकुलम) (पुराना - जिला न्यायालय, एरणाकुलम)	जोसेफ एण्ड कुरियन	मामले की आंशिक सुनवाई हो चुकी है और चूंकि , विवादों को सुलह और निपटान समिति के पास भेज दिया गया है, इसलिए निपटान के परिणाम आने तक कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ सीओपीए द्वारा दायर ओपी (आर्बी) 185/2020 अभी भी माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष लंबित है। इस मुद्दे पर सुलह और निपटान समिति द्वारा भी विचार किया जा रहा है। मामला 26.03.2024 को पोस्ट किया गया और 01.06.2024 तक स्थगित कर दिया गया।
बी.	मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	ओएस सं.175/2011	माननीय जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2020 के आदेश के तहत पत्तन द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के परिणामस्वरूप और कानूनी सलाहकारों की सलाह के अनुसार की आगे अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, वोल्वो ओसन रेस के लिए ओएस नंबर 175/2011 में फैसले और डिक्री के तहत 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 2.98 करोड़ रुपये की राशि जो 26.09.2013 को सीओपीए के पक्ष में प्रदान किया गया। पार्टी को देय राशि को पार्टी से देय प्रायोजन शुल्क के विरुद्ध समायोजित करके मामले को बंद करने का निर्णय लिया गया।	मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का दावा- 3.51 करोड़ रुपये है।	जिला न्यायालय एरणाकुलम	जोसेफ एण्ड कुरियन	सीओपीए द्वारा माननीय उप न्यायालय , कोच्ची के समक्ष दायर ईपी 1/24 को 14.03.2024 को खारिज कर दिया गया। इस मामले की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

क्र सं.	पार्टी का नाम	मामला संदर्भ सं. (ओपी/डब्ल्यूपी सं.आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	सम्मिलित राशि	न्यायालय का स्तर	एडवोकेट का नाम	अंतिम सुनवाई और मामले की स्थिति
सी.	मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	आर्बीट्रेशन	मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई 19.25 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को 2011-12 के दौरान नकदीकरण किया गया था। क्योंकि अनुबंध डिलिवरेबल्स प्रदान करने में विफल रहा जिसके लिए भुगतान पत्तन द्वारा रोक दिया गया है। पार्टी द्वारा आर्बीट्रेशन क्लज लागू किया गया।	मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का दावा-795 करोड़ रुपये, जवाबी दावा 322 करोड़ रुपये	आर्बीट्राल ट्रिब्यूनल	जोसेफ एण्ड कुरियन	चूंकि पार्टी ने कई बैठकों के लिए आर्बीट्रटर की फीस का भुगतान नहीं किया, इसलिए पार्टी द्वारा प्रस्तुत दावे की कार्यवाही को आर्बीट्रेशन न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त कर दिया गया और केवल सीओपीए के जवाबी दावों की सुनवाई की जाएगी। इस बीच, पीठासीन आर्बीट्रटर की 05.10.2010 को मृत्यु हो गई और ट्रिब्यूनल का अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ है।
डी.	मेसर्स सीमेंस लिमिटेड, चेन्नई	ओपी आर्बीट्रेशन 51/20 (पूर्व सं.आर्बी.ओपी.697/13)	110 केवी सब-स्टेशन और उससे जुड़े कार्यों की स्थापना और कमीशनिंग के संबंध में निर्धारित नुकसान की वसूली के खिलाफ पार्टी द्वारा आर्बीट्रेशन किया गया। आर्बीट्रेशन आवर्ड, पत्तन के खिलाफ था और इसलिए पत्तन ने माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष फैसले के खिलाफ अपील की।	₹.1.76 करोड़	प्रिंसपल सब कोर्ट, एरणाकुलम	जोसेफ एण्ड कुरियन	मेसर्स सीमेंस के खिलाफ सीओपीए द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय और माननीय उप न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष दायर ओपी आर्ब 51/20 को 18.10.2023 को खारिज कर दिया गया। सीओपीए ने वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय और माननीय जिला न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष सीएमए (आर्बी) दायर करके इसे चुनौती दी है। उक्त सीएमए, सीएमए (आर्बी) 6/2024 को 13.06.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
ई.	मेसर्स टेबमा शिपयाडर्स लिमिटेड	ओपी आर्बीट्रेशन 86/20 (पूर्व सं. ओपी (आर्बी).39/14)	2 संख्यक 45 टीबीपी टग्स के निर्माण और वितरण के संबंध में निर्धारित क्षति की वसूली के खिलाफ पार्टी द्वारा आर्बीट्रेशन लागू की गई। आवर्ड, पत्तन के पक्ष में था। माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष पार्टी द्वारा अपील दायर की गई।	₹.8.09 करोड़	प्रिंसपल सब कोर्ट, एरणाकुलम	जोसेफ एण्ड कुरियन	मेसर्स टेबमा शियापार्ड लिमिटेड द्वारा दायर ओपी आर्ब 86/20 अभी भी माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित है। धारा 34 याचिका के कारण शीर्षक में संशोधन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर आपत्ति और सुनवाई के लिए मामला 06.06.2024 को पोस्ट किया गया है। (सीताराम)

क्र सं.	पार्टी का नाम	मामला संदर्भ सं. (ओपी/डब्ल्यूपी सं.आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	सम्मिलित राशि	न्यायालय का स्तर	एडवोकेट का नाम	अंतिम सुनवाई और मामले की स्थिति
एफ	मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स	आर्बीट्रेशन अपील 9/22	विलिंगडन आईलैण्ड के विभिन्न स्थानों पर हॉल्ट क्षेत्र में यूजी टैंकों से 200 मिमी डक्टाइल आयरन पंपिंग लाइन प्रदान करने और उसके सड़क सुधार ' की परियोजना पर सड़क सुधार कार्य आदि निष्पादित करने हेतु प्रतिधारण धनराशि जारी करने , संशोधित दरों के संबंध में मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स द्वारा आर्बीट्रेशन चालू की गई और निर्णय ठेकेदार के पक्ष में है।	₹.74.59 लाख	उच्च न्यायालय, केरल	बी एस कृष्णन एसोसिएट्स	आर्बीट्रटर ने 26.03.2018 को निर्णय पारित किया। सीओपीए ने निर्णय को चुनौती देते हुए एओपी 70/20 दायर किया, जिसे माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एरणाकुलम ने 23.12.2021 को खारिज कर दिया। सीओपीए ने इसे चुनौती देते हुए माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आर्बीट्रेशन अपील 9/22 दायर की। मामला 05.05.2024 को पोस्ट किया गया और 29.05.2024 तक स्थगित कर दिया गया।
जी.	मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	आर्बीट्रेशन (आर्बी.अनुरोध सं.52/2019)	मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पुत्तुवाइपीन में 84.76 करोड़ रुपये की राशि पर एमयूएलटी के निर्माण की परियोजना के संबंध में वसूले गए निर्धारित नुकसान की वापसी , उपकरणों का किराया शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क , बैंक गारंटी , मूल्य वृद्धि, विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि , बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए 27.04.2019 को आर्बीट्रेशन चालू की।	₹84.76 करोड़	आर्बीट्राल ट्रिब्यूनल	मेनन एण्ड पाई	न्यायाधिकरण ने 6.5.2023 को सामान्य निर्णय पारित किया। एमयूएलटी के लिए कुल 14,56,00,623.00 रुपये का निर्णय दिया गया है , जिसमें निर्णय की तिथि से भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा समेकित लागत 1,25,00,000.00 रुपये है। आईओसीएल ने आरकेईसी के साथ निर्णय राशि का निपटान कर दिया है। इसलिए, कानूनी सलाहकार को निर्देश दिया गया है कि वह सीओपीए द्वारा माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष उक्त आवर्ड को चुनौती देते हुए दायर एओपी को वापस ले।

क्र सं.	पार्टी का नाम	मामला संदर्भ सं. (ओपी/डब्ल्यूपी सं.आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	सम्मिलित राशि	न्यायालय का स्तर	एडवोकेट का नाम	अंतिम सुनवाई और मामले की स्थिति
एच	मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	आर्बिट्रेशन (आर्बी.अनुरोध सं.53/2019)	मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पुत्तुवाइपीन बार्ज जेट्टी में 17.26 करोड़ रुपये की राशि पर एमयूएलटी के निर्माण की परियोजना के संबंध में वसूले गए निर्धारित नुकसान की वसूली, उपकरणों का किराया शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क, बैंक गारंटी, मूल्य वृद्धि, विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि, बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए को आर्बिट्रेशन चालू की।	₹17.26 करोड़	आर्बिट्राल ट्रिब्यूनल	मेनन एण्ड पाई	कोचिन पत्तन द्वारा दायर प्रतिदावे की राशि ₹12.57 करोड़ है और मध्यस्थता कार्यवाही प्रगति पर है। न्यायाधिकरण ने 06.05.2023 को सामान्य निर्णय पारित किया, जिसके अनुसार बार्ज बर्थ के निर्माण के संबंध में सीओपीए द्वारा आरकेईसी को ₹0.88 करोड़ का कुल दावा देय था और सीओपीए को पार्टी को ₹0.06 करोड़ का एलडी वापस करना है। सीओपीए ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एरणकुलम के समक्ष एओपी दायर किया। एओपी अभी भी लंबित है।
आई	मेसर्स मैरीमैथा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	आर्बिट्रेशन	माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कोचिन पत्तन में भारत सरकार के लिए सरकारी जेटी एवं संबद्ध सुविधाओं के निर्माण ' के कार्य के संबंध में मेसर्स मैरीमाता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मामले में माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री पायस सी. कुरियाकोस को एकमात्र आर्बिट्रटर नियुक्त किया गया है।	ब्याज समेत ₹16.92 करोड़ रुपये	एकमात्र आर्बिट्रटर न्यायमूर्ति पायस सी. कुरियाकोस	न्यायमूर्ति पायस सी. कुरियाकोस	आर्बिट्रटर ने 16.08.2023 को निर्णय पारित किया। सीओपीए ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एरणकुलम के समक्ष एओपी 2/24 दायर किया। एओपी, 09.04.2024 को पोस्ट किया गया तथा 10.06.2024 तक स्थगित कर दिया गया।
जे.	आईजीटीपीएल	आर्बिट्रेशन याचिका 36242/22	आईजीटीपीएल ने 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः ₹6.77 करोड़, ₹6.40 करोड़ और ₹8.48 करोड़ की एसईआईएस स्क्रिप्स की बिक्री पर 33.3% की दर से राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान नहीं किया है। पत्तन ने लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के अनुसार आर्बिट्रेशन क्लज चालू किया है। दिनांक 12.08.2022 को पारित आवर्ड आईजीटीपीएल के पक्ष में है और लागत के रूप में सीओपीए पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।		माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई	मेसर्स जोसेफ एण्ड कुरियान के माध्यम से मुंबई में एडवोकेट अनिल डिसूजा	पत्तन ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में आवर्ड को चुनौती देने वाली अपील दायर की। मामला अभी तक पोस्ट नहीं किया गया है। आर्बिट्राल आवर्ड को चुनौती देते हुए, सीओपीए ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष आर्बिट्रेशन याचिका 60/23 दायर की। आर्बिट्रेशन याचिका अंतिम बार 16.10.2023 को पोस्ट की गई थी।



क्र. सं.	पार्टी का नाम	मामला संदर्भ सं. (ओपी/डब्ल्यूपी सं.आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	सम्मिलित राशि	न्यायालय का स्तर	एडवोकेट का नाम	अंतिम सुनवाई और मामले की स्थिति
के.	नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी	ओपी(आर्बी)46/22	मेसर्स नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा एमयूएलटी परिसर में मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1950 केवीए एचटी आपूर्ति प्रदान करने के कार्य के संबंध में उनके एलपीजी हस्तन सुविधाओं की आपूर्ति के लिए सीओपीए द्वारा परिसमाप्त क्षति की वसूली पर आर्बीट्रेशन चालू की गई। जिसका फैसला दावेदार के पक्ष में हुआ।	₹ 14.89 लाख	प्रिंसपल सब कोर्ट, एरणाकुलम	जोसेफ एण्ड कुरियान	आर्बीट्रटर ने मेसर्स नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी के पक्ष में दिनांक 03.11.2021 को निर्णय पारित किया। निर्णय से व्यथित होकर सीओपीए ने माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष ओपी (आर्बी.) 46/22 दायर किया। एओपी 46/22 को 04.04.2024 को पोस्ट किया गया तथा 15.06.2024 तक स्थगित कर दिया गया।
एल	मेसर्स डॉविन्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	आर्बीट्रेशन	टोल बूथों (एरणाकुलम/मट्टांचेरी/रो-रो) गेटों से टोल और पार्किंग शुल्क के संग्रह के अनुबंध के संबंध में मेसर्स डॉविन्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और सीओपीटी के बीच विवादों का आर्बीट्रेशन।	उपलब्ध नहीं कराया गया	एकमात्र आर्बीट्रटर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पी.शंकरन उन्नी	सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पी.शंकरन उन्नी	अंतिम बैठक 27.02.2024 को पक्षकारों की उपस्थिति के लिए निर्धारित की गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। अगली पोस्टिंग तिथि घोषित नहीं की गई है।
एम	मेसर्स हेल्सा इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	आर्बीट्रेशन	"आईपीडीएस, भारत सरकार के अधीन विल्लिंगडन आईलैण्ड परिसर में उप ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने" के कार्य के संबंध में मेसर्स हेल्सा इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और सीओपीए के बीच विवादों का आर्बीट्रेशन।	₹.25 लाख	एकमात्र आर्बीट्रटर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश एस.जगदीश	सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश एस.जगदीश	एकमात्र आर्बीट्रटर ने 27.3.2024 को आर्बीट्रेशन आवर्ड पारित किया। न्यायाधिकरण ने दावेदार को 20.03.2020 से सीओपीए से वसूली तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ₹.25,88,803/- की राशि वसूलने की अनुमति दी। इसके अलावा दावेदार को कानूनी खर्चों के साथ ₹1,10,000/- की राशि वसूलने की अनुमति दी गई है (जिसका दावा ₹.4,06,705.00 के रूप में किया गया है)। हम आवर्ड पर की जाने वाली आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

# कोचिन पोर्ट प्राधिकरण

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

2023-24

के वार्षिक लेखे

पर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन प्राधिकरण के लेखा पर  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

हमने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण (सीओपीए/पत्तन) के लाभ व हानि खाता एवं संलग्न तुलनपत्र का लेखा परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण पोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वोत्तम लेखांकन प्रणाली, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि की पुष्टि के साथ वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा अवलोकन यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस बात का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरण में कोई तथ्यात्मक गलतबयानी नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समर्थित साक्ष्य शामिल होते हैं। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

- i. हमने आईजीटीपीएल के साथ रियायत समझौते के अनुसार कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कुल राजस्व और राजस्व के संबंधित हिस्से को प्रमाणित करने के लिए इंडिया गेटवे टर्मिनल (पी) लिमिटेड (आईजीटीपीएल) के बुनियादी रिकॉर्ड के अलावा अन्य सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के तहत सीएजी द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है;
- iii. हमारी राय में, कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के तहत अपेक्षित खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अनुरक्षण किया गया है, जहां तक कि ऐसे पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. तुलन पत्र :

पूँजी उपयोग :

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

वर्तमान देयताएं और प्रावधान(अनुसूची-VIII)

1. व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा: ₹129 करोड़

वर्ष 2023-24 के दौरान, पत्तन ने पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से अनुरक्षण ड्रेजिंग शुल्क के रूप में ₹5 करोड़ संग्रह किए, जबकि पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि (31.03.2024 तक) ₹9.54 करोड़ थी। चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 9.54 करोड़ रुपए की गणना करने के बजाय, उसे 'व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा' के अंतर्गत 'सिविल कार्यों के लिए जमा' में शामिल किया गया है, परिणामतः अन्य सिविल कार्यों के लिए एकत्रित जमा को घटा दिया गया है। परिणामतः चालू देयता को ₹9.54 करोड़ कम दर्शाया गया है। इसी प्रकार का लेखा-जोखा ₹1.53 करोड़ तक के डेबिट शेष के साथ विक्रेताओं के लिए किया गया (अनुलग्नक ए)। परिणामतः वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹11.07 करोड़ कम दर्शाया गया है।

2. व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा: ₹129 करोड़

जमा कार्य के लिए ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम ( ₹32.94 करोड़) और जमा कार्य के लिए सावधि जमा (₹193.47 करोड़) को 'व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा' (वर्तमान देयताओं) से घटा दिया गया। परिणामतः व्यापारियों, ठेकेदारों एवं अन्य लोगों की जमा राशियों में ₹226.41 करोड़, नकदी एवं बैंक शेष में ₹193.47 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम में ₹32.94 करोड़ की कमी दर्शाई गई है।

3. वर्तमान देयताएं – सामान्य भविष्य निधि: ₹29.80 लाख (अनुसूची VIII)

सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से संबंधित सावधि जमा/बैंक शेष राशि और अर्जित ब्याज का मूल्य सामान्य भविष्य निधि खाते से काट लिया गया है। परिणामतः सामान्य भविष्य निधि में ₹62.96 करोड़, नकदी और बैंक शेष में ₹60.35 करोड़ और अर्जित ब्याज में ₹2.61 करोड़ की कमी आई है।

4. वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹598.07 करोड़ (अनुसूची VIII) नोट संख्या 13 और 14

कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के लिए धन का प्रबंधन करने हेतु ट्रस्टों का गठन किया गया है। एलआईसी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31.03.2024 तक पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए देयता क्रमशः ₹2859.10 करोड़, ₹129.75 करोड़ और ₹38.09 करोड़ थी। हालांकि, 31.03.2024 तक पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयता के लिए एलआईसी के पास उपलब्ध धनराशि क्रमशः ₹1083.26 करोड़, ₹73.33 करोड़ और 'शून्य' थी। 31.03.2024 तक निधियों में कमी के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए क्रमशः ₹1775.84 करोड़, ₹56.42 करोड़ और ₹38.09 करोड़ की देयताएं सृजित नहीं की गई थी। परिणामतः व्यय और चालू देयता में ₹1870.35 करोड़ की कमी आई। जिसके चलते वर्ष के लिए लाभ भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।

5. **वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची VIII): ₹585.98 करोड़**

i) पत्तन द्वारा कोच्ची नगर निगम (केएमसी) को ₹4.70 लाख की राशि का संपत्ति कर देय है। इस सांविधिक देयता को केएमसी द्वारा पत्तन को देय ₹4.68 लाख के विरुद्ध सेट ऑफ किया गया है और वर्तमान देयताओं (₹4.70 लाख- ₹4.68 लाख) के अंतर्गत ₹0.02 लाख दर्ज किया गया है। केएमसी ने समायोजन से इनकार कर दिया और संपत्ति कर निर्धारित करने के लिए भवन के पुनर्मूल्यांकन और शुद्ध राशि (₹0.02 लाख) के लिए चेक स्वीकार करने की बात दोहराई। इसलिए संपूर्ण सांविधिक बकाया के लिए देयता प्रदान करने की आवश्यकता है। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और विविध देनदारों को ₹4.68 लाख कम करके दर्शाया गया है।

ii) पत्तन ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), कोच्ची परिसर से 2.6 एकड़ भूमि को संरचनाओं सहित (13-10-2022) को वापस ले लिया है। पत्तन द्वारा आईएमयू को देय पुनर्मूल्यांकन राशि ₹62.70 लाख थी। पत्तन ने यह ज़मीन एसआई नाथन चैरिटेबल सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी और ₹62.70 लाख प्राप्त किए। पत्तन ने ₹52.93 लाख आईएमयू को दिए और ₹9.77 लाख संपत्ति कर के रूप में अपने पास रखा है। परन्तु इसका भुगतान कोच्ची नगर निगम को नहीं किया गया है, बल्कि एसआई नाथन चैरिटेबल सोसाइटी से प्राप्त अग्रिम के रूप में इसे वर्तमान देयता के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन देय संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संपत्ति कर के लिए प्रावधान को कम करके दर्शाया गया है और पार्टियों से अग्रिम राशि को ₹9.77 लाख से अधिक दर्शाया गया है।

iii) पत्तन ने मेसर्स सुपर ट्रेड वे ब्रिज को 0.076 हेक्टर (19.6 सेंट) लीज पर दी गई भूमि (2016) को पुनः अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद इसे मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल को (01.04.2023 से) लीज पर दे दिया गया। मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल को कोचिन नगर निगम से संपत्ति कर (2015 से मार्च 2023 तक) के भुगतान के लिए नोटिस मिला, जिसकी राशि ₹1.81 लाख थी। चूंकि मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल ने अप्रैल 2023 से बिलिंग पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने पत्तन से बिलिंग टैक्स का भुगतान करने का अनुरोध किया है। हालांकि, पत्तन ने देय संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछली अवधि के व्यय (देय संपत्ति कर) और प्रावधानों को ₹1.81 लाख कम करके दर्शाया गया है। परिणामतः वर्ष के लिए लाभ को उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।

बी. **लाभ एवं हानि खाता**

बी.1. **आय**

1. **पत्तन और गोदी शुल्क (उप अनुसूची-ई): ₹450.17 करोड़**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 12 के अनुसार, 'कार्गो और पोत संबंधी सेवाओं पर राजस्व सेवा के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त होता है।'

2023-24 के दौरान, पत्तन ने पोत एसएसएल गोदावरी से 2023-24 के लिए आय (दिनांक 31.03.24 का समायोजन चालान) के रूप में एकत्रित ₹17.58 लाख (पत्तन बकाया- ₹5.11 लाख, पायलटेज आवक-₹5.46 लाख, पायलटेज जावक-₹5.46 लाख और बर्थ किराया शुल्क- ₹1.55 लाख) का हिसाब लगाया है। जबकि दिनांक 03.04.24 के अंतिम चालान में पुष्टि की गई कि जहाज का आवक पायलटेज 31.03.24 को 22.40 बजे शुरू हुआ और 01.04.2024 को 00:45 बजे पूरा हुआ और जावक पायलटेज 01.04.24 को 17.50 बजे रिपोर्ट किया गया। अंतिम चालान (₹23.14 लाख) 03.04.24 को जारी किया गया और 31.03.24 को चालान से समायोजन के लिए कोई उलटफेर नहीं किया गया

है। यह उक्त महत्वपूर्ण लेखा नीति से विचलन था। इस प्रकार, चालू वर्ष की आय के रूप में ₹17.58 लाख को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, पत्तन और गोदी प्रभारों को ₹17.58 लाख (लगभग) अधिक दर्शाया गया है, जिसके साथ ही वर्ष के लिए लाभ को भी अधिक दर्शाया गया है।

## 2. पत्तन और गोदी प्रभार : ₹450.17 करोड़ (अनुसूची ई)

संपत्ति किराया: ₹131.94 करोड़ (अनुसूची जी)

वित्त एवं विविध आय: ₹47.81 करोड़ (अनुसूची एम)

पत्तन ने मेसर्स विजयलक्ष्मी कैश्यू लिमिटेड को (मार्च 2001) 30 वर्षों के लिए भूमि को लीज पर दी थी और मेसर्स विजयलक्ष्मी कैश्यू लिमिटेड द्वारा 2003 तक बकाया राशि का भुगतान किया गया था। अवतार पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 01.07.2023 से मेसर्स विजयलक्ष्मी कैश्यू से भूमि और भवन का अधिग्रहण कर लिया था।

पत्तन को मेसर्स अवतार पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹2.03 करोड़ प्राप्त हुए, जिनमें से ₹1.46 करोड़ (i) न्यूनतम गारंटी टर्नओवर ( ₹1.28 करोड़) और (ii) बर्थ किराया शुल्क ( ₹0.18 करोड़) से संबंधित हैं, जो 2003-04 से आगे के हैं।

पत्तन ने 2023-24 के दौरान ₹2.03 करोड़ की आय दर्ज की ( ₹1.71 करोड़ (जिसमें ₹1.46 करोड़ शामिल हैं) + ₹0.31 करोड़ जीएसटी देय)। चूंकि ₹1.46 करोड़ पिछले वर्षों से संबंधित हैं, इसलिए इसे चालू वर्ष की आय के रूप में मान्यता देना गलत है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय 1.46 करोड़ रुपये अधिक दर्शाई गई तथा पूर्व अवधि की आय भी इतनी ही कम दर्शाई गई है।

## 3. वित्त एवं विविध आय (पूर्व अवधि आय): ₹47.81 करोड़ (उप अनुसूची एम)

महत्वपूर्ण लेखा नीति - नोट संख्या 1 में बताया गया है कि आय का लेखा व्यापारिक प्रणाली के आधार पर किया जाना चाहिए। नोट संख्या 12 में यह प्रावधान है कि लीज से प्राप्त राजस्व को समय के आधार पर मान्यता दी जाती है। नोट संख्या 17(सी)(vi) में उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस शुल्क/लीज किराया आय, जो न्यायालयीन मामलों के कारण विवादित है, को लेखा पुस्तकों में आय के रूप में नहीं गिना जाता है। पत्तन, बिल किए गए मामलों में और उन मामलों में उप-लीज आय को मान्यता देता है जहां मांग नोटिस जारी किए गए थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सब-लीज बकाया ₹5.35 करोड़ था। जिसके विरुद्ध ₹1.58 करोड़ का बिल/हिसाब किया गया तथा ₹0.94 करोड़ प्राप्त हुए। लीजधारकों से शेष ₹3.77 करोड़ की मांग की गई, लेकिन उसका हिसाब नहीं दर्शाया गया है।

इस प्रकार, पूर्व अवधि की आय 3.77 करोड़ रुपये कम दर्शाई गई, तथा चालू परिसंपत्तियों को भी इसी अनुपात में कम दर्शाया गया।

## बी.2. व्यय

### 1. पत्तन और गोदी सुविधाएं: ₹220.09 करोड़ (उप अनुसूची आई)

पत्तन ने पुत्तुवाईपीन में मल्टी यूजर लिक्विड टर्मिनल (एमयूएलटी) के संचालन के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार एमयूएलटी के कुल संचालन और अनुरक्षण व्यय का केवल 45 प्रतिशत आईओसीएल को दिया जाता है और शेष 55 प्रतिशत पत्तन द्वारा वहन किया जाता है। लेकिन पत्तन ने 2023-24 के दौरान एमयूएलटी के संचालन और अनुरक्षण के लिए आईओसीएल को ₹0.87 करोड़ की पूरी लागत का भुगतान कर दिया, जो कि समझौते की शर्तों के विपरीत था। पत्तन ने वर्ष 2023-24 के लिए आईओसीएल से संचालन और अनुरक्षण शुल्क की वसूली के लिए कोई डेबिट नोट

जारी नहीं किया, जो कि समझौते की शर्तों के विपरीत था। परिणामतः आईओसीएल से व्यय को कम करके दर्शाया गया है और प्राप्तियों (वर्तमान परिसंपत्तियों) को ₹0.48 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है। जिसके चलते वर्ष के लिए लाभ को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।

## 2. पत्तन और गोदी सुविधाएं: ₹220.09 करोड़ (उप अनुसूची आई)

आईओसीएल के साथ समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि मल्ट यूजर लिक्विड टर्मिनल (एमयूएलटी) के चालू होने से पहले, ड्रेजिंग शुल्क का 100 प्रतिशत आईओसीएल को बिल किया जा सकता है, लेकिन चालू होने के बाद एमयूएलटी के ड्रेजिंग के लिए केवल 45 प्रतिशत व्यय आईओसीएल को बिल किया जा सकता है। 2023-24 के दौरान पत्तन ने एमयूएलटी में ड्रेजिंग के लिए कुल ₹0.84 करोड़ खर्च किए। जिसमें से, ₹0.58 करोड़ (अक्टूबर 2023 में ₹0.27 करोड़ खर्च + मार्च 2024 में ₹0.31 करोड़ खर्च) एमयूएलटी के चालू होने के बाद खर्च किए गए। पत्तन ने आईओसीएल को कमीशनिंग के बाद किए गए ड्रेजिंग खर्च का 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिए डेबिट नोट जारी किया, जो अक्टूबर 2023 में 0.27 करोड़ रुपये है। आईओसीएल ने कमीशनिंग के बाद किए गए ड्रेजिंग खर्च का 100 प्रतिशत चार्ज करने पर आपत्ति जताई है।

इसलिए, पत्तन को डेबिट नोट को ₹0.15 करोड़ (₹0.27 करोड़ का 55 प्रतिशत) से वापस लेना था और इसे अपने खर्च के रूप में दर्ज करना था। इसी तरह पत्तन ने (i) मार्च 2024 के दौरान किए गए ड्रेजिंग लागत के अपने हिस्से ₹0.17 करोड़ (₹0.31 करोड़ का 55 प्रतिशत) को अपने खर्च के रूप में और (ii) आईओसीएल से प्राप्त होने वाले ₹0.14 करोड़ (45 प्रतिशत) को अपने खर्च के रूप में दर्ज नहीं किया है।

अतः आईओसीएल को दिए गए ड्रेजिंग के खर्च के 55 प्रतिशत हिस्से को वापस न करने और प्रतिशत हिस्से का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप व्यय को ₹0.32 करोड़ (₹0.17 करोड़ + ₹0.15 करोड़) कम और लाभ को अधिक दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियां (छह माह से कम अवधि के प्राप्य गैर-सरकारी बकाया) ₹0.01 करोड़ (₹0.15 करोड़ - ₹0.14 करोड़) अधिक (शुद्ध) दर्शाई गई है तथा वर्तमान देयताएं (प्रावधान) ₹0.31 करोड़ कम दर्शाई गई है।

## 3. प्रबंधन और सामान्य प्रशासन: ₹124.21 करोड़ (उप अनुसूची एल)

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार, "किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उसके विस्तार और परिवर्धन को, जिससे पर्यावरण में सीवरेज या व्यापारिक अपशिष्ट निकलने की संभावना हो या वातावरण में कोई वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने की संभावना हो, सहमति प्राप्त करनी होगी"। इसके अलावा, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश में सभी महापत्तनों को सामान्य पत्तन संचालन/गतिविधियों और सभी जहाज़ जनित अपशिष्ट (एमएआरपीओएल, जहाजों के लिए समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के हस्तन के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संचालन की सहमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुल्क के रूप में पत्तन से ₹1.20 करोड़ की मांग की। पत्तन ने न तो राशि का भुगतान किया और न ही बकाया राशि का प्रावधान किया।

देय सांविधिक शुल्क के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यय और वर्तमान देनदारियों तथा प्रावधानों को ₹1.20 करोड़ कम दर्शाया गया है। परिणामतः वर्ष के लिए लाभ को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।

सी. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स

1. पत्तन ने वर्ष 2023-24 के लिए पत्तन भवनों के लिए भवन कर का भुगतान नहीं किया है, जबकि इस उद्देश्य के लिए ₹9.40 लाख का प्रावधान किया गया था। लेकिन खातों के नोटों में सांविधिक बकाया का भुगतान न करने का खुलासा नहीं किया गया है।

डी. सामान्य

1. जीएफआर के अनुसार अचल संपत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियम 2017 में वह प्रारूप निर्धारित किया गया था जिसमें अचल संपत्ति रजिस्टर बनाए रखा जाना था (जीएफआर फॉर्म 22 नियम 211 (ii) (ए))। प्रारूप में यह निर्धारित किया गया है कि परिसंपत्ति रजिस्टर में खरीदी गई प्रत्येक परिसंपत्ति का विवरण, तिथि, विनिर्देश और विवरण, जिन आपूर्तिकर्ताओं से परिसंपत्ति खरीदी गई है उनका नाम और पता (बिल संख्या और तिथि सहित), परिसंपत्तियों की लागत, परिसंपत्तियों का स्थान और परिसंपत्तियों पर अन्य टिप्पणियां शामिल होनी चाहिए।

लेकिन अचल संपत्ति रजिस्टर को विशिष्ट पहचान संख्या, खरीद/पंजीकरण की तिथि, परिसंपत्तियों का वर्तमान स्थान, खरीद विवरण आदि के साथ अद्यतन नहीं किया गया था। इसके अलावा 2022-23 के दौरान आश्वासन के अनुसार अचल संपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए, 2022-23 से बनाए रखे गए अचल संपत्ति रजिस्टर जीएफआर प्रारूप के अनुसार नहीं था।

ई. सहायता अनुदान

01 अप्रैल 2023 तक सहायता अनुदान का आदि शेष ₹32.55 करोड़ था। 2023-24 के दौरान पत्तन को ₹5.89 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ (जिसमें से ₹0.66 करोड़ पिछले वर्षों में किए गए व्यय के लिए था)। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹11.95 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिसमें से ₹0.05 करोड़ पत्तन के अपने कोष से खर्च किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित ब्याज राशि ₹2.58 करोड़ है और मंत्रालय को चुकाया जाने वाला ब्याज 31 मार्च 2024 तक ₹6.78 करोड़ है, जिसका खुलासा वर्तमान देनदारियों के तहत किया गया है। 31 मार्च 2024 तक ₹25.88 करोड़ की राशि अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शेष रही (₹32.55 करोड़ + ₹5.89 करोड़ - ₹0.66 करोड़ - ₹11.95 करोड़ + ₹0.05 करोड़)। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(i) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट और लाभ-हानि लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(ii) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक- I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।



(ए) जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक कोचिन पत्तन प्राधिकरण के मामलों की स्थिति की तुलना पत्र से संबंधित है; तथा

- ख) जहां तक यह लाभ और हानि खाते से संबंधित है, लाभ उस तारीख को समाप्त वर्ष का है।
5. कोचिन पत्तन प्राधिकरण के पिछले तीन वर्षों के सारांशित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाले खातों की समीक्षा अनुलग्नक II में दी गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

(एस. वेल्लियांगिरी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

## अनुबंध-I

क्रमांक	विषय
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता आंतरिक लेखापरीक्षा में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता कोचिन पत्तन प्राधिकरण में राजस्व के बिलिंग में कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं देखा गया। एसएपी में विभिन्न पक्षों को जारी राजस्व मांग/नोटिस के लिए ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं था। इसलिए , राजस्व का गैर-संग्रहण/कम संग्रह या ब्रूट/माफी के विस्तार का पता नहीं लगाया जा सका।
3.	अचल संपत्तियों और वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली अचल संपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।
4.	वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वस्तुसूची के सत्यापन की प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।
5.	निर्विवाद सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता पत्तन निर्विवाद सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमित नहीं था।

ह/-

उप निदेशक (प्रशासन)

अनुबंध-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण की लेखा की समीक्षा।

नोट: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा अवलोकन /टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना लेखा पर यह समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति

निम्न सारणी 31 मार्च, 2022, 2023 एवं 2024 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की समाप्ति में कोचिन पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सारांशित करती है।

(रु.करोड़ में)

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24
ए	देयताएं	-		
(i)	पूंजी भण्डार	84.84	84.84	87.71
(ii)	अन्य भण्डार	55.11	49.93	54.78
(iii)	ऋण - पूंजी ऋण, सरकार से ऋण	446.82	446.82	446.82
	अन्य ऋण	0.30	0.30	-
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	768.42	588.32	598.07
(v)	अन्य देनदारियाँ	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>1355.49</b>	<b>1170.21</b>	<b>1187.38</b>
बी	संपदाएँ			
(i)	अचल सम्पदा	704.27	716.40	720.13
(ii)	न्यून: अवमूल्यन	(340.63)	-358.10	-374.46
(iii)	निवल अचल सम्पदा	363.64	358.30	345.67
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	8.03	1.71	0.68
(v)	निवेश	0.15	67.90	79.05
(vi)	मौजूदा संपदाएँ, ऋण एवं अग्रीम	507.34	271.80	298.88
(vii)	संचित घाटा	476.33	470.50	463.10
	<b>कुल</b>	<b>1355.49</b>	<b>1170.21</b>	<b>1187.38</b>
सी	कार्यशील पूंजी <sup>1</sup>	(-)261.08	(-)316.52	(-)299.19
डी	निवल मूल्य <sup>2</sup>	(-)336.38	(-)335.73	(-)320.61
ई	पूंजी नियोजित <sup>3</sup>	(+)102.56	(+) 41.78	(+) 46.48
एफ	नियोजित पूंजी पर रिटर्न <sup>4</sup> (में %)	(+)8.68	(+)13.95	(+)40.55
1	कार्यशील पूंजी, ऋण पर अर्जित ब्याज सहित वर्तमान देनदारियों को घटाकर वर्तमान परिसंपत्तियों को दर्शाती है।			
2	निवल सम्पत्ति, पूंजी भण्डार और अन्य भण्डार व अधिशेष कम संचित घाटे को दर्शाता है।			
3	नियोजित पूंजी शुद्ध अचल संपत्तियों और कार्यशील पूंजी को दर्शाता है।			
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध अधिशेष/घाटे (विनियोग से पहले) का प्रतिशत दर्शाता है।			

2. कार्यशील परिणाम:

31 मार्च, 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण के कार्यशील परिणाम नीचे संक्षेपित हैं:-

(रु.करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
ए	राजस्व			
(i)	परिचालन आय	715.80	763.57	916.63
(ii)	गैर-परिचालन आय	43.32	63.66	47.80
	कुल	759.12	827.23	964.43
बी	व्यय			
(i)	परिचालन व्यय	367.30	425.44	415.82
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	382.92	395.96	529.76
	कुल	750.22	821.40	945.58
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(+) 8.90	(+)5.83	18.85
डी	न्यून: विनियोजन / संयोजन: हस्तान्तरण(निवल)	0	0	0
ई	राजस्व भण्डार को हस्तान्तरित अधिशेष/घाटा	(+) 8.90	(+)5.83	(+)7.40
एफ	अधिशेष/घाटा के लिए निवल की प्रतिशतता:			
(i)	परिचालन आय	(+) 1.24	(+)0.76	(+)2.06
(ii)	निवल अचल संपदाएँ	(+) 2.45	(+)1.63	(+)5.45
(iii)	निवल संपत्ति	(-) 2.65	(-)1.74	(-)5.88

3. अनुपात विश्लेषण

पत्तन प्राधिकरण के नकदी एवं सम्पन्नता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

- ❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए मौजूदा संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 66.02, 46.20 और 49.98 था।
- ❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए तत्काल संपदाओं की प्रतिशतता क्रमशः 52.32, 30.99 एवं 31.19 था।
- ❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान परिचालन आय के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता क्रमशः 7.44, 8.18 एवं 7.38 था।
- ❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान पूंजीगत भण्डार एवं सामान्य भण्डार के अनुपात के लिए पूंजीगत ऋण क्रमशः 4.37, 4.37 एवं 3.83 था।

ह/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सीए-II

अनुबंध-ए

क्र.सं.	विक्रेता संख्या	नाम	राशि ₹ लाख में (डेबिट बैलेंस)
1.	103012	आईओसीएल, पुत्तुवाईपीन	112.35
2.	100071	बीपीसीएल	27.24
3.	103895	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	6.31
4.	101096	विक्रेता-विविध जमा	5.36
5.	102279	आईएमयू	1.04
		कुल	152.60

ह/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सीए-II



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

# कोचिन पोर्ट प्राधिकरण

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

ली गई

कार्रवाई टिप्पणी

सहित

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2023-24

**कोचिन पत्तन प्राधिकरण के 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में  
लेखा पर उठाए गए टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई नोट**

	लेखापरीक्षा प्रश्न	उत्तर
ए	तुलन पत्र	
	पूंजी उपयोग	
	वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	
	वर्तमान देयताएं और प्रावधान(अनुसूची-VIII)	
1	<p><b>व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा : ₹129 करोड़</b></p> <p>वर्ष 2023-24 के दौरान , पत्तन ने पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से अनुरक्षण ड्रेजिंग शुल्क के रूप में ₹5 करोड़ संग्रह किए, जबकि पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि (31.03.2024 तक) ₹9.54 करोड़ थी। चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 9.54 करोड़ रुपए की गणना करने के बजाय , उसे 'व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा' के अंतर्गत 'सिविल कार्यों के लिए जमा' में शामिल किया गया है , परिणामतः अन्य सिविल कार्यों के लिए एकत्रित जमा को घटा दिया गया है। परिणामतः चालू देयता को ₹9.54 करोड़ कम दर्शाया गया है। इसी प्रकार का लेखा-जोखा ₹1.53 करोड़ तक के डेबिट शेष के साथ विक्रेताओं के लिए किया गया (अनुलग्नक ए)।</p> <p>परिणामतः वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹11.07 करोड़ कम दर्शाया गया है।</p>	<p>विविध देनदारों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष , अर्थात् क्रेडिट शेष वाले ग्राहक को तुलन पत्र में वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसी तरह , जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है , देनदारियों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि अर्थात् डेबिट शेष वाले विक्रेताओं को भी वित्त वर्ष 2024-25 से वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया जाएगा।</p>

<p>2</p>	<p><b>व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा: ₹129 करोड़</b></p> <p>जमा कार्य के लिए ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम (₹32.94 करोड़) और जमा कार्य के लिए सावधि जमा (₹193.47 करोड़) को 'व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से जमा' (वर्तमान देयताओं) से घटा दिया गया। परिणामतः व्यापारियों, ठेकेदारों एवं अन्य लोगों की जमा राशियों में ₹226.41 करोड़, नकदी एवं बैंक शेष में ₹193.47 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम में ₹32.94 करोड़ की कमी दर्शाई गई है।</p>	<p>जमा कार्य, पत्तन की सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के अलावा अन्य संगठनों की ओर से पत्तन द्वारा प्रतिशत के आधार पर की गई परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और परियोजनाओं का निष्पादन उन संगठनों द्वारा जमा की गई धनराशि से किया जा रहा है। अतः परिसंपत्ति पक्ष के अंतर्गत जमा कार्यों के लिए निर्धारित निधियों से बने 'सावधि जमा' और 'ठेकेदारों को अग्रिम' का खुलासा करना तथा वर्तमान देयताओं के अंतर्गत प्राप्त कुल निधियों को देय के रूप में दर्शाया जाना सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। अतः पत्तन की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाने के लिए जमा कार्यों से संबंधित खातों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है और "जमा कार्यों" के अंतर्गत क्रमांक 16 के अनुसार लेखा नोट्स में उचित रूप से खुलासा किया गया है।</p>
<p>3</p>	<p><b>वर्तमान देयताएं – सामान्य भविष्य निधि: ₹29.80 लाख (अनुसूची VIII)</b></p> <p>सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से संबंधित सावधि जमा/बैंक शेष राशि और अर्जित ब्याज का मूल्य सामान्य भविष्य निधि खाते से काट लिया गया है। परिणामतः सामान्य भविष्य निधि में ₹62.96 करोड़, नकदी और बैंक शेष में ₹60.35 करोड़ और अर्जित ब्याज में ₹2.61 करोड़ की कमी आई है।</p>	<p>सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के अधिशेष अंशदान को विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के तहत निवेश किया जा रहा है और ऐसे निवेश पत्तन के "नकद और बैंक शेष" के तहत दर्शाए जाने वाले पत्तन निधि का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि ये निधियां कर्मचारियों से संबंधित हैं। अतः पत्तन की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाने के लिए, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से संबंधित खातों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है और क्रम संख्या 15 के अनुसार "सामान्य भविष्य निधि" (जीपीएफ) के अंतर्गत लेखा टिप्पणियों में उचित रूप से खुलासा किया गया है।</p>



<p>4</p>	<p><b>वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹598.07 करोड़ (अनुसूची VIII) नोट संख्या 13 और 14</b></p> <p>कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के लिए धन का प्रबंधन करने हेतु ट्रस्टों का गठन किया गया है। एलआईसी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31.03.2024 तक पेंशन , ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए देयता क्रमशः <b>₹2859.10 करोड़, ₹129.75 करोड़ और ₹38.09 करोड़</b> थी। हालांकि, 31.03.2024 तक पेंशन , ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयता के लिए एलआईसी के पास उपलब्ध धनराशि क्रमशः <b>₹1083.26 करोड़, ₹73.33 करोड़ और 'शून्य'</b> थी। 31.03.2024 तक निधियों में कमी के लिए पेंशन , ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए क्रमशः <b>₹1775.84 करोड़, ₹56.42 करोड़ और ₹38.09 करोड़</b> की देयताएं सृजित नहीं की गई थी । परिणामतः व्यय और चालू देयता में <b>₹1870.35 करोड़</b> की कमी आई। जिसके चलते वर्ष के लिए लाभ भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।</p>	<p>पुत्तन "वर्तमान सेवा लागत " के लिए पूर्ण रूप से योगदान दे रहा है तथा पिछली सेवा लागत के मामले में , धन की उपलब्धता के आधार पर योगदान दे रहा है। तदनुसार , पुत्तन ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वर्तमान सेवा लागत के लिए 17.50 करोड़ रुपये और पिछली सेवा लागत के लिए 236.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और उसे वित्तपोषित भी किया है।</p> <p>पुत्तन अपनी वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन , ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की सेवानिवृत्ति लाभ देनदारियों (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार) के कारण पिछले सेवा लागत के संबंध में पूर्ण प्रावधान नहीं कर सका , जो पिछले कई वर्षों से संचित है।</p> <p>इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि जब तक धनराशि हस्तांतरित नहीं हो जाती , केवल दायित्व प्रदान करने से उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर बताया गया है , धन की उपलब्धता पर विचार करते हुए , पिछले सेवा दायित्व को "वर्तमान सेवा देयता" के विरुद्ध अंशदान के अतिरिक्त उपलब्ध लाभ की सीमा तक पूरा किया जा रहा है।</p> <p>उपर्युक्त स्थिति अर्थात बीमांकिक देयता , निधि की उपलब्धता और उसमें कमी को भी लेखा टिप्पणियों में क्रम संख्या 13 और 14 के तहत सूचित किया गया है।</p>
----------	---	--

<p>5</p>	<p><b>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची VIII):</b>  <b>₹585.98 करोड़</b></p> <p>i) पत्तन द्वारा कोच्ची नगर निगम (केएमसी) को ₹4.70 लाख की राशि का संपत्ति कर देय है। इस सांविधिक देयता को केएमसी द्वारा पत्तन को देय ₹4.68 लाख के विरुद्ध सेट ऑफ किया गया है और वर्तमान देयताओं ( ₹4.70 लाख- ₹4.68 लाख) के अंतर्गत ₹0.02 लाख दर्ज किया गया है। केएमसी ने समायोजन से इनकार कर दिया और संपत्ति कर निर्धारित करने के लिए भवन के पुनर्मूल्यांकन और शुद्ध राशि ( ₹0.02 लाख) के लिए चेक स्वीकार करने की बात दोहराई। इसलिए संपूर्ण सांविधिक बकाया के लिए देयता प्रदान करने की आवश्यकता है। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और विविध देनदारों को ₹4.68 लाख कम करके दर्शाया गया है।</p> <p>ii) पत्तन ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), कोच्ची परिसर से 2.6 एकड़ भूमि को संरचनाओं सहित (13-10-2022) को वापस ले लिया है। पत्तन द्वारा आईएमयू को देय पुनर्मूल्यांकन राशि ₹62.70 लाख थी। पत्तन ने यह ज़मीन एसआई नाथन चैरिटेबल सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी और ₹62.70 लाख प्राप्त किए। पत्तन ने ₹52.93 लाख आईएमयू को दिए और ₹9.77 लाख संपत्ति कर के रूप में अपने पास रखा है। परन्तु इसका भुगतान कोच्ची नगर निगम को नहीं किया गया है, बल्कि एसआई नाथन चैरिटेबल सोसाइटी से प्राप्त अग्रिम के रूप में इसे वर्तमान देयता के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन देय संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संपत्ति कर के लिए प्रावधान को कम करके दर्शाया गया है और पार्टियों से अग्रिम राशि को ₹9.77 लाख से अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>iii) पत्तन ने मेसर्स सुपर ट्रेड वे ब्रिज को 0.076 हेक्टर (19.6 सेंट) लीज पर दी गई भूमि (2016) को पुनः अपने कब्जे में ले लिया था। तदनुसार इसे मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल को (01.04.2023 से)</p>	<p>i) जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान सूचित किया गया है, वित्त वर्ष 2024-25 (एसएपी दस्तावेज़ संख्या 4401324 दिनांक 14.08.2024) में आवश्यक सुधार प्रविष्टि पारित की गई है, ताकि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए देय संपत्ति कर को वर्तमान देनदारियों के तहत 4.70 लाख रुपये और कोच्ची नगर निगम (केएमसी) द्वारा देय बकाया राशि को विविध देनदारों के तहत 4.68 लाख रुपये दर्शाया जा सके।</p> <p>ii) लीज पर दी गई भूमि पर आईएमयू द्वारा निर्मित भवन के लिए संपत्ति कर के अनुमानित बकाया के रूप में आईएमयू से 9.77 लाख रुपये रोक लिए गए थे। भवन को मेसर्स नाथन चैरिटेबल ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गया है और वे लीज पर दिए गए परिसर में विकास संबंधी गतिविधियाँ कर रहे हैं और कार्य पूरा करने के बाद, वे व्यापार लाइसेंस के लिए निगम से संपर्क करेंगे और उसके बाद ही बकाया देयता का पता लगाया जा सकता है। निगम से ऐसा दावा प्राप्त होने पर भवन के संपत्ति कर की बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। इस बीच, जैसा कि प्रारंभिक मसौदा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर में बताया गया है, 9.77 लाख रुपये की उपरोक्त राशि को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देय संपत्ति कर के रूप में दर्ज किया गया है (एसएपी दस्तावेज़ संख्या 4401325 दिनांक 14.08.2024)।</p> <p>iii) मेसर्स सुपर ट्रेड वे ब्रिज को लाइसेंस प्राप्त भूमि पर कानूनी कार्यवाही के माध्यम से सीओपीए द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया था, और इसलिए</p>
----------	---	---

	<p>लीज पर दे दिया गया। मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल को कोचिन नगर निगम से संपत्ति कर (2015 से मार्च 2023 तक) के भुगतान के लिए नोटिस मिला , जिसकी राशि ₹1.81 लाख थी। चूंकि मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल ने अप्रैल 2023 से बिलिंग पर कब्जा कर लिया था , इसलिए उन्होंने पत्तन से बिलिंग टैक्स का भुगतान करने का अनुरोध किया है । हालांकि, पत्तन ने देय संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछली अवधि के व्यय (देय संपत्ति कर) और प्रावधानों को ₹1.81 लाख कम करके दर्शाया गया है। परिणामतः वर्ष के लिए लाभ को उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।</p>	<p>सीओपीए उस पर कब्जा करने वाले से संपत्ति कर की बकाया राशि वसूल नहीं कर सका। इसके बाद, संपत्ति को नए अधिभोगी अर्थात मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल को वर्ष 2023 के लिए निविदा के माध्यम से लीज पर दे दिया गया और निविदा में एक शर्त यह थी कि 'लीजधारक को नगर निगम/पंचायत/को भवन संरचनाओं के लिए लागू संपत्ति कर का भुगतान करना होगा , जिसमें पिछली अवधि के लिए बकाया , यदि कोई हो, भी शामिल है'।</p> <p>उपरोक्त शर्त के अनुसार , लीजधारक को पूर्व अवधि के लिए 1.81 लाख रुपये का कर चुकाना होगा। इसलिए, जैसा कि प्रारंभिक मसौदा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर में बताया गया है , वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मेसर्स ए2जेड ड्राइविंग स्कूल से प्राप्य और नगर निगम को देय के रूप में लेखा पुस्तकों में आवश्यक प्रावधान किया गया है (एसएपी दस्तावेज संख्या 4401327 दिनांक 14.08.2024)।</p>
बी	लाभ एवं हानि खाता	
ए	आय	
1	<p><b>पत्तन और गोदी शुल्क (उप अनुसूची-ई): ₹450.17 करोड़</b></p> <p>महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 12 के अनुसार , 'कार्गो और पोत संबंधी सेवाओं पर राजस्व सेवा के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त होता है।' 2023-24 के दौरान , पत्तन ने पोत एसएसएल गोदावरी से 2023-24 के लिए आय (दिनांक 31.03.24 का समायोजन चालान) के रूप में एकत्रित ₹17.58 लाख ( पत्तन बकाया- ₹5.11 लाख, पायलटेज आवक- ₹5.46 लाख , पायलटेज जावक-₹5.46 लाख और बर्थ किराया शुल्क- ₹1.55 लाख) का हिसाब लगाया है। जबकि दिनांक 03.04.24 के अंतिम चालान में पुष्टि की गई कि जहाज का आवक पायलटेज 31.03.24 को 22.40 बजे शुरू हुआ और 01.04.2024 को 00:45 बजे पूरा हुआ और जावक पायलटेज 01.04.24 को 17.50 बजे रिपोर्ट किया गया। अंतिम चालान</p>	<p>कई वर्षों से अपनाई जा रही लेखांकन पद्धति के अनुसार, पोत से संबंधित प्रभार, आवक पायलटेज, 100% पत्तन शुल्क , आनुपातिक बर्थ किराया प्रभार के लिए अंतरिम चालान को राजस्व में शामिल किया जाता है और जब पोत सेवा पूरी होने पर बर्थ से रवाना होता है तो अंतिम चालान जारी किया जाता है और शेष प्रभार को अंतिम चालान बुक करते समय राजस्व के रूप में माना जाता है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2024 को 22.40 बजे बर्थ किए गए और दिनांक 01.04.2024 को 00.45 बजे सेवाएं पूर्ण करने वाले पोत एसएसएल गोदावरी के लिए पोत संबंधी शुल्कों के प्रति आनुपातिक राजस्व को समायोजन चालान के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिए लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है और इस</p>

	<p>(₹23.14 लाख) 03.04.24 को जारी किया गया और 31.03.24 को चालान से समायोजन के लिए कोई उलटफेर नहीं किया गया है। यह उक्त महत्वपूर्ण लेखा नीति से विचलन था।</p> <p>इस प्रकार, चालू वर्ष की आय के रूप में ₹17.58 लाख को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, पत्तन और गोदी प्रभारों को ₹17.58 लाख (लगभग) अधिक दर्शाया गया है, जिसके साथ ही वर्ष के लिए लाभ को भी अधिक दर्शाया गया है।</p>	<p>प्रकार संबंधित आनुपातिक राजस्व शुल्क को वर्ष 2023-24 में आय के रूप में माना गया है, जो कि अपनाई जा रही लेखांकन प्रक्रिया के अनुरूप है। तथापि, वीआरसी के प्रति लेखांकन नीति के साथ उपरोक्त लेखांकन प्रक्रिया को संरेखित करने के लिए, इसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।</p>
2	<p><b>पत्तन और गोदी प्रभार : ₹450.17 करोड़ (अनुसूची ई)</b>  <b>संपत्ति किराया: ₹131.94 करोड़ (अनुसूची जी)</b>  <b>वित्त एवं विविध आय: ₹47.81 करोड़ (अनुसूची एम)</b></p> <p>पत्तन ने मेसर्स विजयलक्ष्मी कैश्यू लिमिटेड को (मार्च 2001) 30 वर्षों के लिए भूमि को लीज पर दी थी और मेसर्स विजयलक्ष्मी कैश्यू लिमिटेड द्वारा 2003 तक बकाया राशि का भुगतान किया गया था। अवतार पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 01.07.2023 से मेसर्स विजयलक्ष्मी कैश्यू से भूमि और भवन का अधिग्रहण कर लिया था।</p> <p>पत्तन को मेसर्स अवतार पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹2.03 करोड़ प्राप्त हुए, जिनमें से ₹1.46 करोड़ (i) न्यूनतम गारंटी टर्नओवर (₹1.28 करोड़) और (ii) बर्थ किराया शुल्क (₹0.18 करोड़) से संबंधित हैं, जो 2003-04 से आगे के हैं।</p> <p>पत्तन ने 2023-24 के दौरान ₹2.03 करोड़ की आय दर्ज की (₹1.71 करोड़ (जिसमें ₹1.46 करोड़ शामिल हैं) + ₹0.31 करोड़ जीएसटी देय)। चूंकि ₹1.46 करोड़ पिछले वर्षों से संबंधित हैं, इसलिए इसे चालू वर्ष की आय के रूप में मान्यता देना गलत है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय 1.46 करोड़ रुपये अधिक दर्शाई गई तथा पूर्व अवधि की आय भी इतनी ही कम दर्शाई गई है।</p>	<p>चूंकि बकाया राशि सहित सभी लेन-देन वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुए और संपन्न हुए, इसलिए इसे इस वर्ष की आय में दर्ज की गई।</p>

<p>3</p>	<p><b>वित्त एवं विविध आय (पूर्व अवधि आय): ₹47.81 करोड़ (उप अनुसूची एम)</b></p> <p>महत्वपूर्ण लेखा नीति - नोट संख्या 1 में बताया गया है कि आय का लेखा व्यापारिक प्रणाली के आधार पर किया जाना चाहिए। नोट संख्या 12 में यह प्रावधान है कि लीज से प्राप्त राजस्व को समय के आधार पर मान्यता दी जाती है। नोट संख्या 17(सी)(vi) में उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस शुल्क/लीज किराया आय, जो न्यायालयीन मामलों के कारण विवादित है, को लेखा पुस्तकों में आय के रूप में नहीं गिना जाता है। पत्तन, बिल किए गए मामलों में और उन मामलों में उप-लीज आय को मान्यता देता है जहां मांग नोटिस जारी किए गए थे।</p> <p>वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सब-लीज बकाया ₹5.35 करोड़ था। जिसके विरुद्ध ₹1.58 करोड़ का बिल/हिसाब किया गया तथा ₹0.94 करोड़ प्राप्त हुए। लीजधारकों से शेष ₹3.77 करोड़ की मांग की गई, लेकिन उसका हिसाब नहीं दर्शाया गया है।</p> <p>इस प्रकार, पूर्व अवधि की आय 3.77 करोड़ रुपये कम दर्शाई गई, तथा चालू परिसंपत्तियों को भी इसी अनुपात में कम दर्शाया गया।</p>	<p>पीजीएलएम 2015 जारी होने तक कार्यालय स्थलों और गोदामों के लिए सब-लीज शुल्क 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से वसूला जा रहा था। इसके बाद, पीजीएलएम 2015 के अनुसार, जो 01.01.2014 को प्रभावी हुआ, एकत्र किए जाने वाले सब-लीज शुल्क को लीजधारकों द्वारा सब-लीजधारकों से एकत्र किए जाने वाले सब-लीज किराये के 50% के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 2016 में एसओआर तैयार करते समय इसे टीएएमपी अधिसूचना में शामिल किया गया, जो 21.08.2016 को लागू हुई।</p> <p>पीजीएलएम और टीएएमपी के इस फैसले को लीज होल्डर्स एसोसिएशन और कुछ लीजधारकों ने स्वतंत्र रूप से माननीय केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 24.01.2018 के फैसले में कहा कि सब-लीज शुल्क की दर टीएएमपी द्वारा तय की जानी है। नतीजतन, टीएएमपी अधिसूचना 2016 के अनुसार 21.08.2016 से सब लीजधारकों से सब-लीज किराया लीजधारक द्वारा वसूले गए किराए का 50% वसूला जा सकता है।</p> <p>तदनुसार, सीओपीए ने लीजधारकों को 2016 से अपने सब-लीज समझौते प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया। कुछ लीजधारकों ने सब-लीज समझौते प्रस्तुत किए, जिसे सब-लीज शुल्क की गणना और चालान समझौते के आधार पर किया गया है। हालांकि, अन्य लीज के मामले में लीजधारकों ने अनुबंध प्रस्तुत नहीं किए। ऐसे लीजधारकों के लिए, कार्यालय और गोदाम के लिए टीएएमपी 2016 में उल्लिखित लाइसेंस दरों पर विचार करके सब-लीज शुल्क की गणना करने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया।</p>
----------	--	---

		तदनुसार, सब-लीज बकाया के लिए मांग नोटिस जारी किए गए हैं और विभिन्न पक्षों से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। इसलिए, पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने पर ही जीएसटी चालान जारी किया जाएगा।
बी.2	व्यय	
1	<p><b>पत्तन और गोदी सुविधाएं: ₹220.09 करोड़ (उप अनुसूची आई)</b></p> <p>पत्तन ने पुत्तुवाईपीन में मल्टी यूजर लिक्विड टर्मिनल (एमयूएलटी) के संचालन के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार एमयूएलटी के कुल संचालन और अनुरक्षण व्यय का केवल 45 प्रतिशत आईओसीएल को दिया जाता है और शेष 55 प्रतिशत पत्तन द्वारा वहन किया जाता है। लेकिन पत्तन ने 2023-24 के दौरान एमयूएलटी के संचालन और अनुरक्षण के लिए आईओसीएल को ₹0.87 करोड़ की पूरी लागत का भुगतान कर दिया, जो कि समझौते की शर्तों के विपरीत था।</p> <p>पत्तन ने वर्ष 2023-24 के लिए आईओसीएल से संचालन और अनुरक्षण शुल्क की वसूली के लिए कोई डेबिट नोट जारी नहीं किया, जो कि समझौते की शर्तों के विपरीत था।</p> <p>परिणामतः आईओसीएल से व्यय को कम करके दर्शाया गया है और प्राप्तियों (वर्तमान परिसंपत्तियों) को ₹0.48 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है। जिसके चलते वर्ष के लिए लाभ को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।</p>	<p>मेसर्स आईओसीएल के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के हिस्से का दावा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक समायोजन/सुधार प्रविष्टियाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पारित की जाएंगी।</p>
2	<p><b>पत्तन और गोदी सुविधाएं: ₹220.09 करोड़ (उप अनुसूची आई)</b></p> <p>आईओसीएल के साथ समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि मल्ट यूजर लिक्विड टर्मिनल (एमयूएलटी) के चालू होने से पहले, ड्रेजिंग शुल्क का 100 प्रतिशत आईओसीएल को बिल किया जा सकता है, लेकिन चालू होने के बाद एमयूएलटी के ड्रेजिंग के लिए केवल 45 प्रतिशत व्यय आईओसीएल को बिल किया जा सकता है। 2023-24 के दौरान पत्तन ने एमयूएलटी में ड्रेजिंग के लिए कुल ₹0.84 करोड़ खर्च किए। जिसमें से ₹0.58</p>	<p>आवश्यक सुधार/समायोजन प्रविष्टियाँ यदि कोई हों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पारित की जाएंगी, क्योंकि पत्तन का दावा आईओसीएल से संपूर्ण लागत वसूलने या उस विशेष बर्थ पर संचालित जहाजों पर विशेष शुल्क लगाने का है।</p>

करोड़ (अक्टूबर 2023 में ₹0.27 करोड़ खर्च + मार्च 2024 में ₹0.31 करोड़ खर्च) एमयूएलटी के चालू होने के बाद खर्च किए गए। पत्तन ने आईओसीएल को कमीशनिंग के बाद किए गए ड्रेजिंग खर्च का 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिए डेबिट नोट जारी किया, जो अक्टूबर 2023 में 0.27 करोड़ रुपये है। आईओसीएल ने कमीशनिंग के बाद किए गए ड्रेजिंग खर्च का 100 प्रतिशत चार्ज करने पर आपत्ति जताई है।

इसलिए, पत्तन को डेबिट नोट को ₹0.15 करोड़ (₹0.27 करोड़ का 55 प्रतिशत) से वापस लेना था और इसे अपने खर्च के रूप में दर्ज करना था। इसी तरह पत्तन ने (i) मार्च 2024 के दौरान किए गए ड्रेजिंग लागत के अपने हिस्से ₹0.17 करोड़ (₹0.31 करोड़ का 55 प्रतिशत) को अपने खर्च के रूप में और (ii) आईओसीएल से प्राप्त होने वाले ₹0.14 करोड़ (45 प्रतिशत) को अपने खर्च के रूप में दर्ज नहीं किया है।

अतः आईओसीएल को दिए गए ड्रेजिंग के खर्च के 55 प्रतिशत हिस्से को वापस न करने और प्रतिशत हिस्से का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप व्यय को ₹0.32 करोड़ (₹0.17 करोड़ + ₹0.15 करोड़) कम और लाभ को अधिक दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियां (छह माह से कम अवधि के प्राप्य गैर-सरकारी बकाया) ₹0.01 करोड़ (₹0.15 करोड़ - ₹0.14 करोड़) अधिक (शुद्ध) दर्शाई गई है तथा वर्तमान देयताएं (प्रावधान) ₹0.31 करोड़ कम दर्शाई गई है।

<p>3</p>	<p><b>प्रबंधन और सामान्य प्रशासन: ₹124.21 करोड़ (उप अनुसूची एल)</b></p> <p>जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम , 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार , "किसी भी उद्योग , संचालन या प्रक्रिया या उसके विस्तार और परिवर्धन को , जिससे पर्यावरण में सीवरेज या व्यापारिक अपशिष्ट निकलने की संभावना हो या वातावरण में कोई वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने की संभावना हो , सहमति प्राप्त करनी होगी"। इसके अलावा, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश में सभी महापत्तनों को सामान्य पत्तन संचालन/गतिविधियों और सभी जहाज़ जनित अपशिष्ट (एमएआरपीओएल, जहाज़ों के लिए समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के हस्तन के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के तहत पीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।</p> <p>कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संचालन की सहमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुल्क के रूप में पत्तन से ₹1.20 करोड़ की मांग की। पत्तन ने न तो राशि का भुगतान किया और न ही बकाया राशि का प्रावधान किया।</p> <p>देय सांविधिक शुल्क के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यय और वर्तमान देनदारियों तथा प्रावधानों को ₹1.20 करोड़ कम दर्शाया गया है। परिणामतः वर्ष के लिए लाभ को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।</p>	<p>कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया था कि वह कोचिन पत्तन के परिचालन को ऑरेंज श्रेणी के अंतर्गत रखे, क्योंकि पत्तन परिचालन/जहाज़ों की गतिविधि से कोई खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। मारपोल कन्वेंशन के अनुसार , जहाज से उत्पन्न सभी अपशिष्टों को केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंप दिया जाता है , जिन्हें कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध किया जाता है तथा भारत सरकार के शिपिंग निदेशालय की स्वच्छ सागर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। इस मामले को आवश्यक अवलोकन के लिए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष भी उठाया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए , वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। हालाँकि, केएसपीसीबी के दिनांक 11.07.2024 के पत्र के आधार पर , सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू शुल्क का भुगतान कर संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, सीओपीए ने 13.09.2024 को 1,19,68,950 रुपये प्रेषित किए हैं।</p>
<p>सी</p>	<p>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स</p>	
<p>1</p>	<p>पत्तन ने वर्ष 2023-24 के लिए पत्तन भवनों के लिए भवन कर का भुगतान नहीं किया है, जबकि इस उद्देश्य के लिए ₹9.40 लाख का प्रावधान किया गया था। लेकिन खातों के नोटों में सांविधिक बकाया</p>	<p>कोच्ची नगर निगम (केएमसी) ने पत्तन भवन के संपत्ति कर के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है और पत्तन भवनों के निर्मित क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन के लिए संयुक्त निरीक्षण करने का निर्णय लिया है।</p>



	का भुगतान न करने का खुलासा नहीं किया गया है।	इस संबंध में केएमसी के प्रतिनिधियों ने पत्तन प्रतिनिधियों के साथ पत्तन भवन का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। हालांकि , मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। संपत्ति कर के कारण देयता को निगम द्वारा मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा , वित्त वर्ष 2024-25 से, संपत्ति कर बकाया की स्थिति , यदि कोई हो , तो खातों के नोट्स में बताई जाएगी।
डी	सामान्य	
1	<p><b>जीएफआर के अनुसार अचल संपत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना</b></p> <p>सामान्य वित्तीय नियम 2017 में वह प्रारूप निर्धारित किया गया था जिसमें अचल संपत्ति रजिस्टर बनाए रखा जाना था (जीएफआर फॉर्म 22 नियम 211 (ii) (ए))। प्रारूप में यह निर्धारित किया गया है कि परिसंपत्ति रजिस्टर में खरीदी गई प्रत्येक परिसंपत्ति का विवरण , तिथि, विनिर्देश और विवरण, जिन आपूर्तिकर्ताओं से परिसंपत्ति खरीदी गई है उनका नाम और पता (बिल संख्या और तिथि सहित), परिसंपत्तियों की लागत , परिसंपत्तियों का स्थान और परिसंपत्तियों पर अन्य टिप्पणियां शामिल होनी चाहिए।</p> <p>लेकिन अचल संपत्ति रजिस्टर को विशिष्ट पहचान संख्या, खरीद/पूँजीकरण की तिथि, परिसंपत्तियों का वर्तमान स्थान, खरीद विवरण आदि के साथ अद्यतन नहीं किया गया था।</p> <p>इसके अलावा 2022-23 के दौरान आश्वासन के अनुसार अचल संपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । इसलिए , 2022-23 से बनाए रखे गए अचल संपत्ति रजिस्टर जीएफआर प्रारूप के अनुसार नहीं था।</p>	<p>कोचिन पत्तन में वर्ष 2008-09 में एसएपी-ईआरपी लागू किया गया था , जिसमें मानक एसएपी प्रारूप के अनुसार स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर (एफएआर) का भी अनुरक्षण किया जा रहा है।</p> <p>लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मुद्दे को एसएपी परामर्शदाताओं के साथ उठाया जाएगा तथा एफए रजिस्टर में जीएफआर 2017 की आवश्यकताओं को शामिल करने की संभावना पर विचार किया जाएगा।</p>

ई	<p><b>सहायता अनुदान</b></p> <p>01 अप्रैल 2023 तक सहायता अनुदान का आदि शेष ₹32.55 करोड़ था। 2023-24 के दौरान पत्तन को ₹5.89 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ (जिसमें से ₹0.66 करोड़ पिछले वर्षों में किए गए व्यय के लिए था)। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹11.95 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिसमें से ₹0.05 करोड़ पत्तन के अपने कोष से खर्च किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित ब्याज राशि ₹2.58 करोड़ है और मंत्रालय को चुकाया जाने वाला ब्याज 31 मार्च 2024 तक ₹6.78 करोड़ है, जिसका खुलासा वर्तमान देनदारियों के तहत किया गया है। 31 मार्च 2024 तक ₹25.88 करोड़ की राशि अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शेष रही ( ₹32.55 करोड़ + ₹5.89 करोड़ - ₹0.66 करोड़ - ₹11.95 करोड़ + ₹0.05 करोड़)। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।</p>	<p>तथ्यात्मक</p>
---	---	------------------

**अनुबंध-1**

1	<p><b>आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता:-</b> आंतरिक लेखापरीक्षा में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं</p>	तथ्यात्मक
2	<p><b>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</b> कोचिन पत्तन प्राधिकरण में राजस्व के बिलिंग में कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं देखा गया। एसएपी में विभिन्न पक्षों को जारी राजस्व मांगनोटिस के लिए ऑडिट ट्रेल/ मौजूद नहीं था। इसलिए, राजस्व का गैरसंग्रहण कम/ माफी के विस्तार का पता नहीं लगाया/ संग्रह या छूट जा सका।</p>	<p>अविवादित राजस्व के बिलिंग में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है।</p> <p>विवादित मामलों के संबंध में , पक्षों को मांग नोटिस जारी किए जाते हैं और धनराशि प्राप्त होने पर ही बिल बनाए जाते हैं।</p>
3	<p><b>अचल संपत्तियों और वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</b> अचल संपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।</p>	तथ्यात्मक
4	<p><b>वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</b> वस्तुसूची के सत्यापन की प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।</p>	तथ्यात्मक
5	<p><b>निर्विवाद सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता</b> पत्तन निर्विवाद सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमित नहीं था।</p>	<p>सीओपीए निर्विवाद सांविधिक बकाया राशि का नियमित भुगतान करता है।</p> <p>संपत्ति कर, संचालन हेतु सहमति शुल्क आदि जैसे अन्य बकाया के संबंध में , भुगतान न करने के कुछ विशिष्ट कारण हैं, जिनका विवरण क्रमशः ऊपर अनुच्छेद सी 1 और बी.2.3 में दिया गया है।</p> <p>कोच्ची नगर निगम द्वारा पुनर्मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद संपत्ति कर का भुगतान किया जाएगा और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संचालन की सहमति के लिए केएसपीसीबी को शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।</p>

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण की लेखा की समीक्षा।

नोट: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा अवलोकन /टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना लेखा पर यह समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति

निम्न सारणी 31 मार्च, 2022, 2023 एवं 2024 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की समाप्ति में कोचिन पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सारांशित करती है।

(रु.करोड़ में)

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24	
ए	देयताएं				
(i)	पूंजी भण्डार	84.84	84.84	87.71	
(ii)	अन्य भण्डार	55.11	49.93	54.78	
(iii)	ऋण - पूंजी ऋण, सरकार से ऋण	446.82	446.82	446.82	
	अन्य ऋण	0.30	0.30	-	
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	768.42	588.32	598.07	
(v)	अन्य देनदारियाँ	-	-	-	
	<b>कुल</b>	<b>1355.49</b>	<b>1170.21</b>	<b>1187.38</b>	
बी	संपदाएँ				
(i)	अचल सम्पदा	704.27	716.40	720.13	
(ii)	न्यून: अवमूल्यन	-340.63	-358.10	-374.46	
(iii)	निवल अचल सम्पदा	363.64	358.30	345.67	तथ्यात्मक
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	8.03	1.71	0.68	
(v)	निवेश	0.15	67.90	79.05	
(vi)	मौजूदा संपदाएँ, ऋण एवं अग्रीम	507.34	271.80	298.88	
(vii)	संचित घाटा	476.33	470.50	463.10	
	<b>कुल</b>	<b>1355.49</b>	<b>1170.21</b>	<b>1187.38</b>	
सी	कार्यशील पूंजी <sup>1</sup>	(-)261.08	(-)316.52	(-)299.19	
डी	निवल मूल्य <sup>2</sup>	(-)336.38	(-)335.73	(-)320.61	
ई	पूंजी नियोजित <sup>3</sup>	(+)102.56	(+) 41.78	(+)46.48	
एफ	नियोजित पूंजी पर रिटर्न <sup>4</sup> (में %)	(+)8.68	(+)13.95	(+)40.55	
1	कार्यशील पूंजी, ऋण पर अर्जित ब्याज सहित वर्तमान देनदारियों को घटाकर वर्तमान परिसंपत्तियों को दर्शाती है।				
2	निवल सम्पत्ति, पूंजी भण्डार और अन्य भण्डार व अधिशेष कम संचित घाटे को दर्शाता है।				
3	नियोजित पूंजी शुद्ध अचल संपत्तियों और कार्यशील पूंजी को दर्शाता है।				
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध अधिशेष/घाटे (विनियोग से पहले) का प्रतिशत दर्शाता है।				

2. कार्यशील परिणाम:

31 मार्च, 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण के कार्यशील परिणाम नीचे संक्षेपित हैं:-  
(रु.करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	
ए	राजस्व				तथ्यात्मक शुद्ध अधिशेष और विनियोजन में सुधार के अधीन
(i)	परिचालन आय	715.80	763.57	916.63	
(ii)	गैर-परिचालन आय	43.32	63.66	47.80	
	कुल	759.12	827.23	964.43	
बी	व्यय				
(i)	परिचालन व्यय	367.30	425.44	415.82	
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	382.92	395.96	529.76	
	कुल	750.22	821.40	945.58	
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(+) 8.90	(+)5.83	(+)18.85	
डी ई	न्यून: विनियोजन / संयोजन: हस्तान्तरण(निवल) राजस्व भण्डार को हस्तान्तरित अधिशेष/घाटा	0	0	11.45	
एफ	अधिशेष/घाटा के लिए निवल की प्रतिशतता:	(+) 8.90	(+) 5.83	(+)7.40	
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा				
(i)	परिचालन आय	(+) 1.24	(+)0.76	(+)2.06	
(ii)	निवल अचल संपदाएँ	(+) 2.45	(+)1.63	(+)5.45	
(iii)	निवल संपत्ति	(-) 2.65	(-)1.74	(-)5.88	

3. अनुपात विश्लेषण

पत्तन प्राधिकरण के नकदी एवं सम्पन्नता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए मौजूदा संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 66.02, 46.20 और 49.98 था।</li> <li>❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए तत्काल संपदाओं की प्रतिशतता क्रमशः 52.32, 30.99 एवं 31.19 था।</li> <li>❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान परिचालन आय के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता क्रमशः 7.44, 8.18 एवं 7.38 था।</li> <li>❖ वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान पूंजीगत भण्डार एवं सामान्य भण्डार के अनुपात के लिए पूंजीगत ऋण क्रमशः 4.37, 4.37 एवं 3.83 था।</li> </ul>	तथ्यात्मक
---	-----------

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी